<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय/मूल/अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार

<u>दीवानी अपील संख्या 3707 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6841 वर्ष 2020 से उद्भूत)

राम शरण मौर्य और अन्य ... अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ... प्रत्यर्थीगण

सह

<u>दीवानी अपील संख्या 3708 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6847 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

<u>दीवानी अपील संख्या 3709 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 7817 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

<u>विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6841 वर्ष 2020</u>

में

<u>अवमानना याचिका (दीवानी) संख्या 418 वर्ष 2020</u>

सह

<u>दीवानी अपील संख्या 3710 वर्ष 2020</u>

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13741 वर्ष 2020 से उद्भूत)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

डायरी संख्या 12189 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3711 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13742 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 12246 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3720 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13743 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 11446 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3721 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13745 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 11450 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3722 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13746 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 12016 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3728 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13747 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 13259 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3729 वर्ष 2020

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13748 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 13288 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3725 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13753 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 12798 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3732 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13762 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 13517 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3731 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13750 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 12452 वर्ष 2020

दीवानी अपील संख्या 3724 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13752 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 12792 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3723 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6841 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 14138 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3730 वर्ष 2020

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13749 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 11452 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3726 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13754 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 13182 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3712 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6841 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

दीवानी अपील संख्या 3713 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6842 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

दीवानी अपील संख्या 3714 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6687 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

दीवानी अपील संख्या 3717 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13761 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 11331 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3715 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6848 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दीवानी अपील संख्या 3716 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6845 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

दीवानी अपील संख्या 3718 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6850 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

दीवानी अपील संख्या 3719 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6851 वर्ष 2020 से उद्भूत)

सह

विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) डी. संख्या 13142 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3727 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13756 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 13639 वर्ष 2020

सह

रिट याचिका संख्या 703 वर्ष 2020

सह

दीवानी अपील संख्या 3733 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13757 वर्ष 2020 से उद्भूत)

डायरी संख्या 13872 वर्ष 2020

और

दीवानी अपील संख्या 3734 वर्ष 2020

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13758 वर्ष 2020 से उद्भूत)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

डायरी संख्या 13888 वर्ष 2020

निर्णय

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित

1. विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) डी. संख्या 13142 वर्ष 2020 को छोड़करः (i) सभी संबंधित मामलों में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है; और (ii) सभी मामलों में अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

2. ये अपीलें विशेष अपील संख्या 207 वर्ष 2019 और सभी संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ[1] द्वारा पारित 06.05.2020 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं जिसके तहत उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ 1 ने रिट याचिका संख्या 1188 (एसएस) वर्ष 2019 में और अन्य संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 29.03.2019 के आदेश को अपास्त कर दिया था। ये अपीलें, अन्य बातों के साथ, शिक्षा मित्रों के अधिकारों की सीमा तथा *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव और अन्य*[2] में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा उनको प्रदान किए गए लाभों पर विचार करता है।

3. आनंद कुमार यादव वाद[2] में इस न्यायालय के निर्णय के लिए तथ्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए थे:–

> "3. संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (1972 अधिनियम) को उत्तर

---

1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड़पीठ

2 (2018) 13 एससीसी 560

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रदेश राज्य में बुनियादी शिक्षा को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, 1972 अधिनियम की धारा 19 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 (1981 नियमावली) शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती और योग्यता के स्रोत को प्रतिपादित करती है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (एनसीटीई अधिनियम) को संसद ने शिक्षक शिक्षा प्रणाली के लिए नियोजित और समन्वित विकास के लिए अधिनियमित किया था। नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009) संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए लागू किया गया था। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान करती है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए एनसीटीई को धारा 23 (1) के तहत प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था।

4. एनसीटीई ने अधिसूचना दिनांकित 23–8–2010 जारी की, जिसमें ऐसी योग्यताएं निर्धारित की गयीं। उक्त अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों के संबंध में, यह कहा गया था कि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण) विनियम, 2001 (2001 विनियम) के संदर्भ में योग्यता रखनी आवश्यक थी, यदि शिक्षकों को 3–9–2001 को या उसके बाद नियुक्त किया गया था, तो उनके पास एनसीटीई के अधीन छह महीने के विशेष कार्यक्रम को कुछ स्थितियों में मान्यता दी गई थी। 3–9–2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों की प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार योग्यता

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपेक्षित थी। उक्त अधिसूचना के तहत आवश्यकताओं में से एक, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। हालाँकि, पत्र दिनांकित 8–11–2010 द्वारा, केंद्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत छूट के लिए प्रस्ताव मांगे, जिसके बाद कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिनांक 10–9–2012 को छूट आदेश दिया गया था जो 31–3–2014 तक संचालित होना था। एनसीटीई के पत्र दिनांकित 14–1–2011 के अनुसार, एनसीटीई ने मुक्त व दूरस्थ शिक्षा द्वारा अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की कोई नियुक्ति अनुज्ञेय नहीं थी

5. आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार द्वारा आरटीई नियम, 2010 बनाया गया था। उसी समय, उत्तर राज्य ने भी उत्तर प्रदेश आरटीई नियमावली, 2011 नामक नियमावली बनायी।

6. अब उस योजना का संदर्भ दिया जा सकता है जिसके तहत शिक्षा मित्र भर्ती किए गए थे। दिनांक 26–5–1999 को शिक्षा मित्रों (पैरा टीचर) के नियोजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा एक शासकीय आदेश जारी किया गया था। आदेश का आशयित उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था और प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए उन व्यक्तियों को नियुक्त करना था जो विधिवत योग्य नहीं थे पर एक योग्य शिक्षक के निर्धारित वेतन के मुकाबले कम लागत पर थे। शासनादेश (G.O.) में कहा गया कि 10,000 की सीमा तक, शिक्षा मित्र को शैक्षणिक सत्र 1999–2000 के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लिए प्रति माह 1450 रुपये के मानदेय पर अनुबंधित किया जा सकता है। योजना के मुख्य पहलुओं को जैसा कि उक्त जी .ओ. से उच्च न्यायालय के के आक्षेपित निर्णय में अभिव्यक्त किया गया था निम्न थे: (आनंद कुमार का वाद[3], एससीसी ऑनलाइन ऑल प्रस्तर 17)

"(i) शिक्षा मित्र की नियुक्ति मानदेय के भुगतान पर होनी थी;

(ii) नियुक्ति ग्यारह महीने की अवधि के लिए होनी थी, जो संतोषजनक प्रदर्शन पर नवीनीकृत होनी थी।

(iii) शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट स्तर की होगी;

(iv) चयन की इकाई वह गांव होगा जहां विद्यालय स्थित है और उस दशा में कि गांव में कोई अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो , न्याय पंचायत की अधिकारिता तक इकाई का विस्तार किया जा सकता है;

(v) संतोषजनक प्रदर्शन की आवश्यकता पर शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं;

(vi) ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ग्राम स्तर पर चयन किया जाना था; और

(vii) इस स्कीम में जिला स्तर पर, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति के गठन की परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ पंचायत राज अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं, जो कार्यान्वयन की देखरेख करेगें।"

7. इसके बाद, कई जीओ योजना का विस्तार करते हुए जीओ दिनांक 1-7-2001 सहित उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए थे और यह स्पष्ट किया गया कि यह योजना एक नियमित सेवा में रोजगार के लिए नहीं थी, बल्कि ग्रामीण युवाओं को सामुदायिक सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करने के लिए थी।

---

3 2015 एससीसी ऑनलाइन ऑल 3997: आईएलआर 2015 ऑल 1108 [आनन्द कुमार यादव बनाम भारत संघ]

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

8. भले ही अधिसूचना दिनांकित 23–8–2010 के माध्यम से एनसीटीई द्वारा न्यूनतम वैधानिक योग्यता निर्धारित की गई थी, लेकिन आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) के तहत छूट का मुद्दा, केंद्र सरकार द्वारा सीमित अंतरिम वैधानिक अवधि की छूट के लिए लिया गया था, यदि किसी विशेष राज्य के पास शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं थे या अवधि के दौरान उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पत्र के जवाब में उत्तर दिया कि उसने अनुबंध के आधार पर शिक्षामित्र नियुक्त किए थे जिन्हें शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाना था। केंद्र सरकार ने 31–3–2014 तक की अवधि के लिए कुछ शर्तों के अधीन धारा 23 (2) के तहत छूट के लिए एक आदेश जारी किया।

9. राज्य सरकार ने 3–1–2011 को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें शिक्षा मित्र को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने दिनांक 14–1–2011 के पत्र के संदर्भ में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष के डिप्लोमा के लिए स्वीकार किया था। जिसमें यह स्पष्ट सहमति थी कि कोई अप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

10. अंत में, उत्तर प्रदेश राज्य ने निम्नलिखित कदम उठाए जो उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के विषय थे: 10.1. अधिसूचना दिनांक 30–5–2014 द्वारा उत्तर प्रदेश आरटीई नियमावली में संशोधन किया गया जिसमें नियम 16–ए लाया गया जो राज्य सरकार को जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करने के लिए अधिकृत करती है।

10.2. 1981 नियमावली में संशोधन करते हुए, अधिसूचना दिनांक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

30–5–2014: नियम 8 द्वारा जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका की नियुक्ति के लिए संशोधित योग्यता निर्धारित की गयी, जो आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत वैधानिक योग्यता से अलग हैं। नियम 5 में संशोधन किया गया था ताकि शिक्षा मित्र को मौजूदा नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के मौजूदा स्रोत के अलावा शिक्षकों की भर्ती के लिए स्रोत के रूप में जोड़ा जाए। आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित योग्यता के बिना शिक्षा मित्र को मूल पदों के सापेक्ष शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने में सक्षम बनाने के लिए नियम 14 में भी संशोधन किया गया था।

10.3. आरटीई अधिनियम, 2009 के संदर्भ में पात्रता और योग्यता के बिना प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पद पर शिक्षा मित्र की नियुक्ति की अनुमति देते हुए जी.ओ. दिनांक 19–6–2013 जारी किया गया था। सहायक शिक्षकों के रूप में शिक्षा मित्र के समावेशन के लिए एक समय सारणी निर्धारित की गई थी।

10.4. 1,24,000 स्नातक शिक्षा मित्र और 46,000 इंटरमीडिएट शिक्षा मित्र के समावेशन के लिए परिणामी कार्यकारी आदेश जारी किए गए थे।"

... ...

13. उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएँ उन व्यक्तियों द्वारा दायर की गयी जिन्होंने नियुक्ति के लिए पात्र होने का दावा किया था और जिनकी संभावना उक्त रिक्तियों के सापेक्ष शिक्षा मित्र को नियमित करके शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से प्रभावित हुई थी।... ...

14. याचिका में यह मामला बनाया गया था कि एनसीटीई द्वारा 23–8–2010 को जारी अधिसूचना के मद्देनजर कक्षा I से VIII के लिए सहायक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करते हुए, दिनांक 19–6–2014 का उत्तर प्रदेश का निर्णय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30–5–2014 को किए गए संशोधन, दिनांक 23–8–2010 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना के विरोध में थी और इस प्रकार, यह न्यायसंगत नहीं हो सकती है। टीईटी एक अनिवार्य योग्यता होने के नाते, राज्य सरकार उक्त योग्यता के बिना शिक्षक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं कर सकती थी। नियुक्तियां, 23–8–2010 की अधिसूचना के बाद होने से और छूट के लिए शर्तों के तहत न आने से, छूट खंड के तहत नहीं आती। राज्य की 1981 की नियमावली, इस न्यायालय द्वारा *कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी(3)*[4] के मामलें में प्रतिपादित विधि के उल्लंघन में शिक्षा मित्र के समावेशन के लिए उपबन्ध नहीं कर सकी क्योंकि उनकी नियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों का पालन न किए जाने के कारण नियमावली 1981 के प्रतिकूल थी। यह भी कहा गया था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की प्रकृति उन्हें सामुदायिक सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए संविदात्मक थी, न कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के तहत थी। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण केवल वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों के लिए ही प्रासंगिक था, न कि नियमों के प्रतिकूल नियुक्त संविदा कर्मचारियों के लिए थी। इसके अलावा, 46,000 शिक्षा मित्र स्नातक भी नहीं थे, जो एनसीटीई द्वारा इसके पत्र दिनांक 14–1–2011 में अनुमोदन के लिए एक शर्त थी..... ”

3.1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में निम्नानुसार विचार किया गया था:–

---

4 (2006) 4 एससीसी 1: 2006 एससीसी (एल एण्ड एस) 753

<u>उद्घोषणा</u>

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"17. संक्षेप में, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष यह हैं कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की प्रकृति के संबंध में, उन्हें 1981 की नियमावली के संदर्भ में शिक्षक के रूप में नहीं माना जा सकता है। उनके पास नियुक्ति की तारीख पर उक्त नियमावली के तहत निर्धारित योग्यता भी नहीं थी, उनके पास 1981 की नियमावली के तहत निर्धारित स्नातक की डिग्री नहीं थी और न ही उनके पास बुनियादी शिक्षक प्रमाण पत्र था। आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने समय की मांग को पूरा किया होगा, अपेक्षित वैधानिक योग्यता के उल्लंघन में उनकी नियमित नियुक्ति अवैध थी। इस तरह की नियुक्तियों की प्रकृति के संबंध में, *संध्या सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*[5] में हालिया पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया था।

18. यह आगे कहा गया कि धारा 23(2) में केवल पांच साल की सीमित अवधि के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता में छूट की अनुमति दी गयी है और टीईटी के लिए योग्यता में ढील नहीं दी जा सकती है जैसा कि 23–8–2010 के बाद की नियुक्तियों के लिए *शिव कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*[6] में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा अवधारित किया गया था।। न ही 23–8–2010 के पहले की नियुक्तियों को तब तक बचाया जा सकता है जब तक कि प्रारंभिक नियुक्तियां लागू नियमों के संदर्भ में शिक्षकों के पद पर नहीं थीं जैसा कि अधिसूचना दिनांक 23–8–2010 में कहा गया है। राज्य आरटीई नियमावली, 2011 और 1981 की सेवा नियमावली में संशोधन धारा 23 (2) की भावना के विरोध में थे, जिसके तहत न्यूनतम योग्यता को शिथिल करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास

---

5 (2013) 7 एडीजे 1 (एफबी)

6 2013 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4097: (2013) 6 एएलजे 366: 6 एडीजे 310 (एफबी)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सीमित अवधि के लिए निहित थी। इसके अलावा, शिक्षकों के रूप में शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण उमादेवी (3)4 में प्रतिपादित कानून के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं था। शिक्षा मित्र की नियुक्ति शिक्षकों के रूप में नहीं थी और न ही इसे शिक्षकों के पद के लिए उनकी न्यूनतम योग्यता के अभाव में केवल अनियमित माना जा सकता था, जो एक विशिष्ट विशेषता थी इसने *कर्नाटक राज्य बनाम एम एल केशरी*[7] और *अमरेन्द्र कुमार मोहपात्रा बनाम उड़ीसा राज्य*[8] के निर्णयों को अप्रयोज्य कर दिया।

3.2. पूर्ण न्यायपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोंण की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:–

"28. हम उपरोक्त निष्कर्षों से सहमत हैं। दिनांक 23–8–2010 की अधिसूचना के बाद नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता वाले कानून के स्पष्ट जनादेश के मद्देनजर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी योग्यता के बिना कोई नियुक्ति स्वीकार्य नहीं थी। वर्तमान मामले में नियुक्तियां स्पष्टतः उक्त तिथि के बाद की हैं। योग्यता से संबंधित अनुप्रयोज्य नियमों के संदर्भ में, छूट के प्रावधान को सीमित अवधि के लिए या पहले से नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू किया जा सकता है। वर्तमान मामले में शिक्षा मित्र दिनांक 23–8–2010 की अधिसूचना से पूर्व की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनकी नियुक्ति को नियमित किया जा सकता है।

29. आगे, कठिनाई जो स्पष्तः दर्शित होती है, वह इस न्यायालय द्वारा लोक नियोजन में संविदात्मक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के नियमितीकरण पर प्रतिपादित कानून है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति न केवल संविदात्मक

---

7 (2010) 9 एससीसी 247: (2010) 2 एससीसी (एल एण्ड़ एस) 826

8 (2014) 4 एससीसी 583 : (2014) 2 एससीसी (एल एण्ड़ एस) 54

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

थी, बल्कि यह शिक्षक के लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप नहीं थी और न ही शिक्षक के पदनाम के और न ही शिक्षकों के वेतनमान के अनुरूप थी। इस प्रकार, उन्हें शिक्षकों के रूप में नियमित नहीं किया जा सकता था। नियमितीकरण केवल अनियमितता का हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए अपवाद वर्तमान प्रकृति के मामले पर लागू नहीं होते हैं।

30. हमारे इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि शिक्षा मित्रों को कभी भी शिक्षक के रूप में अनुप्रयोज्य योग्यता के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था और आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) के तहत छूट आदेश द्वारा आच्छादित नहीं थे, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 23(1) के उल्लंघन में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था। राज्य योग्यता को शिथिल करने के लिए सक्षम नहीं है।

... ...

32. एक ओर, हमारे पास विधि के उल्लंघन में नियमित किए जाने वाले 1.78 लाख व्यक्तियों का दावा है, दूसरी ओर विधि के शासन को बनाए रखने और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विधिवत योग्य शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार, भले ही एक कामचलाऊ व्यवस्था के लिए शिक्षण अयोग्य शिक्षकों द्वारा हो सकता है, योग्य शिक्षकों को अंततः नियुक्त करना होगा। शिक्षा मित्र के अनुभव को कुछ वेटेज देना स्वीकार्य हो सकता है या आयु में कुछ छूट संभव हो सकती है, अनिवार्य योग्यता को नहीं छोड़ा जा सकता है। शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण स्वीकार्य नहीं था। इस कानूनी स्थिति के मद्देनजर, हमारे जवाब स्पष्ट हैं। हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण 3 में कोई त्रुटि नहीं मिलती

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है।"

3.3 हालाँकि, असाधारण तथ्य की स्थिति में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे:–

> "33. अब प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा मित्र के पक्ष में किसी अधिकार के अभाव में, वे किसी अन्य राहत या वरीयता के हकदार हैं। असाधारण तथ्य की स्थिति में, उन्हें भर्ती के लिए विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए यदि उन्होंने अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर ली है या वे अब अगली दो लगातार भर्तियों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापनों के संदर्भ में अपेक्षित योग्यता प्राप्त करते हैं। उन्हें अपने अनुभव के लिए उपयुक्त आयु में छूट और कुछ वेटेज भी दिया जा सकता है जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय किया जाये। जब तक वे इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, तब तक राज्य उन्हें उसी शर्तों पर शिक्षा मित्र के रूप में जारी रखने के लिए स्वतंत्र है, जिस पर वे अपने समावेशन से पहले काम कर रहे थे, यदि राज्य ऐसा तय करता है।"

4. *आनंद कुमार यादव*[2] में निर्णय के प्रस्तर 33 में इस प्रकार निर्देश दिया गया कि शिक्षा मित्रों को निम्नवत लाभ दिए जाएं:–

क) भर्ती के लिए विचार करने का अवसर यदि वे भर्ती के लिए विज्ञापन के संदर्भ में अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करेंगे।

ख) अगली दो लगातार भर्तियों के लिए; और ग) ऐसी भर्तियों में, वे निम्न के हकदार होंगे i) उपयुक्त आयु में छूट; और

ii) उनके अनुभव के लिए कुछ अधिमान, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए।

5. *आनंद कुमार यादव वाद*[2] में निर्णय के बाद, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.08.2017 को एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें पूर्वोक्त प्रस्तर 33 में

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निर्देशों को संदर्भित किया गया और कहा गया:

"1. उपरोक्त के अनुपालन के क्रम में, ऐसे शिक्षकों के लिए सरकार, जिन्हें शिक्षक के पद पर समावेशित/समायोजित किया गया था, उन्हें दिनांक 1.8.2017 से शिक्षा मित्र के पद पर वापस भेजा हुआ समझा जाएगा। उनके पास अपने वर्तमान स्कूल में या अपनी मूल पोस्टिंग के स्कूल में ड्यूटी में शामिल होने का विकल्प होगा।

2. राज्य सरकार अक्टूबर 2017 में टीईटी की परीक्षा आयोजित करेगी और ऐसे सभी शिक्षा मित्रों को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

3. टीईटी परीक्षा आयोजित होने के बाद, बोर्ड के तहत प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के चयन के प्रयोजनों के लिए , उचित संख्या में रिक्ति का विज्ञापन दिसंबर 2017 में प्रकाशित किया जाएगा और सभी पात्र आवेदकों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में, "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम, 1981" में संशोधन लाया गया और सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के प्रयोजनों के लिए, विज्ञापन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में उपरोक्त संशोधन लाया जाएगा और उस कारक का निर्धारण किया जाएगा जो निम्नानुसार होगा:

क). शैक्षिक कारक के आधार पर चयन के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 में मौजूदा और प्रस्तावित संशोधन:–

<u>परिशिष्ट</u>

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

शैक्षिक कारक के आधार पर

क्रमांक	परीक्षा	मौजूदा	प्रस्तावित
1.	हाई स्कूल	10%	10%
2.	इंटरमीडिएट	20%	20%
3.	स्नातक/डिग्री	40%	40%
4.	बीटीसी प्रशिक्षण	प्रथम श्रेणी–12 अंक (सिद्धांत) प्रथम श्रेणी–12 अंक (व्यावहारिक) द्वितीय श्रेणी–06 अंक (सिद्धांत) द्वितीय श्रेणी–06 अंक(व्यावहारिक) तृतीय श्रेणी–3 अंक (सिद्धांत) तीसरा श्रेणी–3 अंक (व्यावहारिक)	प्रथम श्रेणी–12 अंक (सिद्धांत) प्रथम श्रेणी–12 अंक (व्यावहारिक) द्वितीय श्रेणी–06 अंक (सिद्धांत) द्वितीय श्रेणी – 06 अंक (व्यावहारिक) तृतीय श्रेणी – 3 अंक (सिद्धांत) तृतीय श्रेणी – 3 अंक (व्यवहारिक)
5.	बोर्ड स्कूलों में शिक्षा मित्र के रूप में काम का अनुभव		प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष में शिक्षा मित्र के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रति वर्ष 2.5 अंक लेकिन अधिकतम वेटेज 25 अंक है।

5. सभी शिक्षा मित्रों को 1.8.2017 से 10,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा।"

6. दिनांक 09.11.2017 को, राज्य सरकार ने 1981 नियमावली[9] में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक (शिक्षक) सेवा (20वाँ संशोधन) नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया। निम्नलिखित पदों को नियम 2 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:–

"(ध) "शिक्षक पात्रता परीक्षा" से सरकार या भारत सरकार द्वारा

9 उत्तर प्रदेश शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा अभिप्रेत है;

(न) "शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हक अंक" शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हक अंक ऐसे अंक होंगे जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर विहित किए जाएं;

(प) "प्रशिक्षु शिक्षक" से ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जिसने बी. एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा)/डी. एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की है और उसने शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में अंतिम नियुक्ति के लिए चुना गया है;

(फ) "शिक्षा मित्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उत्तर प्रदेश बच्चों की नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के प्रारंभ से पूर्व सरकारी आदेशों के अधीन बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में ऐसे कार्य करता है;

या एक व्यक्ति जो एक शिक्षा मित्र रहा है और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और एसएलपी संख्या 32599/2015 उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव और अन्य में शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसरण में शिक्षा मित्र के रूप में काम करने के लिए वापस कर दिया गया है।

(ब) " सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा " से बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में किसी व्यक्ति की भर्ती के लिए सरकार द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा अभिप्रेत है;

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(भ) "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अर्हक अंक" से ऐसे न्यूनतम अंक अभिप्रेत हैं जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाएं।

(म) "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांत" से ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत हैं जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाएं।"

6.1. अब नियम 5 में निर्दिष्ट शिक्षकों की भर्ती के निम्न स्त्रोत थे:–

"5. भर्ती के स्त्रोत– नीचे उल्लिखित पदों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती का तरीका निम्नानुसार होगा:

(क)	(i) नर्सरी स्कूलों की अध्यापिकाएँ	नियम 14 में यथा उपबन्धित सीधी भर्ती द्वारा।
	(ii) जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकाएँ	नियम 14 में यथा उपबन्धित सीधी भर्ती द्वारा।
(ख)	(i) नर्सरी स्कूलों की प्रधान अध्यापिका	नियम 18 में यथा उपबन्धित पदोन्नति द्वारा।
	(ii) जूनियर बेसिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक और प्रधान अध्यापिका	नियम 18 में यथा उपबन्धित पदोन्नति द्वारा।
	(iii) उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान–गणित के सहायक शिक्षक	नियम 18 में यथा उपबन्धित पदोन्नति द्वारा।
	(iv) उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान–गणित की सहायक अध्यापिका	नियम 18 में यथा उपबन्धित पदोन्नति द्वारा।
	(v) उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान गणित के अलावा अन्य के सहायक अध्यापक	नियम 18 में यथा उपबन्धित पदोन्नति द्वारा।
	(vi) उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान गणित के अलावा अन्य की सहायक अध्यापिका	नियम 18 में यथा उपबन्धित पदोन्नति द्वारा।
	(vii) बेसिक स्कूलों के नियम 18 में यथा उपबन्धित वरिष्ठ में से प्रधान अध्यापकों की	

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

	पदोन्नति द्वारा।
	(viii) बेसिक स्कूलों के नियम 18 में यथा उपबन्धित वरिष्ठ में से प्रधान अध्यापिकाओं की पदोन्नति द्वारा।

बशर्ते कि यदि उपरोक्त (v) और (vi) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, तो नियम 15 में निर्धारित तरीके से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जा सकती है।"

6.2. नियम 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नियम 8 (1) में निम्नानुसार निर्धारित की गई थी:–

"8. शैक्षणिक योग्यता–(1) नियम 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यता निम्न होगी, जैसा कि प्रत्येक के सापेक्ष नीचे दिखाया गया है:

पद	शैक्षिक योग्यता
(i) नर्सरी स्कूल की अध्यापिकाएँ	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डिग्री के साथ उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षण प्रमाण पत्र (नर्सरी) और इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।
(ii) जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकाएँ	ii. (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डिग्री के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ–साथ बेसिक शिक्षक प्रमाणपत्र (बीटीसी), दो साल की बीटीसी (उर्दू) विशिष्ट

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

	बीटीसी की प्रशिक्षण अर्हता। भारत के पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित शिक्षा (विशेष शिक्षा) में दो वर्ष का डिप्लोमा या प्रारंभिक शिक्षा (बी. ई. एल. एड.) में चार वर्ष की डिग्री, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) के अनुरूप दो साल की प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (जिस भी नाम से जाना जाता हो), प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जोड़ा जाने वाला विनियमन या कोई प्रशिक्षण योग्यता और सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा सरकार द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ख) एक प्रशिक्षु शिक्षक जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। (ग) एक शीशमित्र, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसके समतुल्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री है और उसने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित दो वर्ष का दूरस्थ शिक्षा बी. टी. सी. पाठ्यक्रम या बेसिक शिक्षक प्रमाणपत्र (बी. टी. सी.), बेसिक शिक्षक प्रमाणपत्र (बी. टी. सी.) (उर्दू) या विशिष्ट बी. टी. सी. सफलतापूर्वक पूरा किया हो और भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो और सरकार द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(iii) प्रशिक्षु शिक्षक	iii. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिग्री के साथ बी. एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा)/डी. एड. (विशेष शिक्षा) योग्यता और सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

	आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हालाँकि, बी. एड. (विशेष शिक्षा)/डी. एड. (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पाठ्यक्रम पर विचार किया जाएगा।"

इस प्रकार, शिक्षा मित्र 'जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकाओं' के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हो गए और नियम 8 में बताई गई आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं निम्न थीं:–

क) विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।

ख) बीटीसी पाठ्यक्रम का दो वर्ष का दूरस्थ अध्ययन या इसके समकक्ष पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना।

(ग) शिक्षक पात्रता परीक्षा (संक्षेप में टीईटी) उत्तीर्ण।

घ) राज्य सरकार द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा (संक्षेप में "एटीआरई") को उत्तीर्ण करना।

6.3. नियम 14 जो रिक्तियों के निर्धारण और सूची तैयार करने के बारे में बताता है, इस प्रकार है: –

"14. रिक्तियों का निर्धारण और सूची तैयार करना –

(1)(क) नियम 5 के खंड (क) के अधीन नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा, साथ ही नियम 9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा और राज्य में साथ ही संबंधित जिले में पर्याप्त प्रसार

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले और सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और सरकार द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ख) सरकार समय–समय पर उन उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्णय ले सकती है, जो स्नातक होने के साथ–साथ डी. एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा)/डी. एड. (विशेष शिक्षा) हैं और जिन्होंने प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। नियुक्ति के बाद इन उम्मीदवारों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या का, साथ ही नियम 9 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा और राज्य में साथ ही संबंधित जिले में पर्याप्त प्रसार वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में उन छात्रों से आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित करेगा जो स्नातक हैं साथ ही बी. एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा)/डी. एड. (विशेष शिक्षा) हैं और जिन्होनें सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने के विशेष प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों को नियमित वेतनमान में मूल पद के सापेक्ष जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी उक्त प्रशिक्षण के सफल समापन के प्रमाण पत्र जारी करने के एक महीने के भीतर सहायक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए बाध्य होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी नियम 14 के उप–नियम (1) के खंड (ए) या (बी) के तहत विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा और ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले प्रतीत होते हैं और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(3) (क) नियम 14 के उप–नियम (1) के खंड (क) के अनुसार उप–नियम (2) के तहत तैयार की गई सूची में उम्मीदवारों के नाम तब इस तरह से व्यवस्थित किए जाएंगे कि उम्मीदवार को परिशिष्ट–। में निर्दिष्ट गुणवत्ता बिंदुओं और अधिमान के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा।

(ख) नियम 14 के उप–नियम (1) के खंड (ख) के अनुसार उप–नियम (2) के तहत तैयार की गई सूची में उम्मीदवारों के नाम तब इस तरह से व्यवस्थित किए जाएंगे कि उम्मीदवार को परिशिष्ट–।। में निर्दिष्ट गुणवत्ता बिंदुओं के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा।

(ग) सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए नियम 14 के खंड (ग) उप–नियम (1) के अनुसार तैयार की गई सूची में उम्मीदवारों के नाम नियम 14 के खंड (ख) उप–नियम (3) के तहत तैयार की गई सूची के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

समान होंगे जब तक कि उक्त सूची के तहत अभ्यर्थी अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने के विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ नहीं हों। यदि अभ्यर्थी अपने दूसरे और अंतिम प्रयास में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो अभ्यर्थी का नाम उन सभी अभ्यर्थियों के नाम के नीचे रखा जाएगा जिन्होंने अपने पहले प्रयास में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(4) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका नाम उप–नियम (2) के तहत तैयार की गई सूची में शामिल न हो।

(5) नियम 14 के उप–नियम (3) के खण्ड (क) और (ख) के अनुसार, उप–नियम (2) के तहत तैयार और व्यवस्थित सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को भेज दिया जाएगा।"

6.4. 20 वें संशोधन द्वारा यथासंशोधित नियम 14 (3) (क) संदर्भयोग्य परिशिष्ट I और नियम 14 (3) (ख) संदर्भयोग्य परिशिष्ट II निम्नानुसार थे: –

" परिशिष्ट–I [10]

[नियम 14 (3)क देखें]

अभ्यर्थियों के चयन के लिए अर्हता अंक और अधिमान

	परीक्षा/डिग्री का नाम	गुणवत्ता अंक
1.	हाई स्कूल	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 10 /100

10. परिशिष्ट–I अधिसूचना संख्या 2282/LXXIX–5–2017–282–98 दिनांक 9 नवंबर, 2017 (बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित। उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित, भाग 4, अनुभाग (क), दिनांक 9 नवंबर 2017 (दिनांक 9.11.2017 से)।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

2.	इंटरमीडिएट	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 10 /100
3.	स्नातक डिग्री	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 10 /100
4.	बीटीसी प्रशिक्षण	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 10 /100
5.	सहायक शिक्षक भर्ती	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 60 /100
6.	अधिमान बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों के रूप में या शिक्षक के रूप में कार्य करने वालों का शिक्षण अनुभव।	2.5 अंक प्रति पूर्ण शिक्षण वर्ष, अधिकतम 25 अंक तक, जो भी कम हो।

नोट । – यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के पास समान अर्हता अंक हैं, तो उम्र में वरिष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा।

2. यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के पास समान गुणवत्ता अंक और आयु है, तो अभ्यर्थियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सूची में रखा जाएगा।"

" परिशिष्ट–II[11]

[नियम 14 (3) (ख) देखिए]

अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक

	परीक्षा/डिग्री का नाम	गुणवत्ता अंक
1.	हाई स्कूल	अंकों का प्रतिशत/10
2.	इंटरमीडिएट	अंकों का प्रतिशत x 2/10
3.	स्नातक डिग्री	अंकों का प्रतिशत x 4/10
4.	बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.)/बी. एड. (विशेष शिक्षा)/बी. एड. (विशेष शिक्षा)	अंकों का प्रतिशत x 3/10

11 (सोलहवां संशोधन) अधिसूचना संख्या 3338/LXXIX-5-2012-14 (10)-2010, दिनांकित 4 दिसंबर 2012 (4-12-2012 से) द्वारा परिशिष्ट अंतःस्थापित,

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नोट–यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के पास समान गुणवत्ता है, तो उस अभ्यर्थी का नाम जो उम्र में वरिष्ठ है, को सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के पास समान गुणवत्ता बिंदु और आयु है, तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सूची में रखा जाएगा।"

7. दिनांक 09.01.2018 को, जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए सहायक शिक्षकों के 68,500 पदों को भरने के लिए 2018 में आयोजित होने वाली एटीआरई ('एटीआरई–2018', संक्षेप में) के लिए दिशा–निर्देश देते हुए एक जी.ओ. जारी किया गया था। जी. ओ. के संलग्नक के प्रस्तर 7 में एटीआरई 2018 के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए थे, जो कि 150 में से न्यूनतम 67 अंक अर्थात सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और 150 में से 60 अंक यानी एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 40% था। जी.ओ. के संलग्नक का प्रस्तर 4.1, 5 और 7 निम्न थे:–

"4. आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता: –

(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा (20 वाँ संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 8 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण उत्तीर्ण, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2018 में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

5. सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की विषय वस्तु और संरचना: –

सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के कार्यालय द्वारा और विज्ञापन के अनुसार, जिसे विज्ञापन संख्या शिक्षा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

परिषद/15876/2017–18 दिनांक 28.10.2017 में प्रकाशित किया गया है:–

परीक्षा का समय 3.00 घंटे, कुल अंक 150

प्रश्न का प्रकार बहुत छोटे प्रशन, प्रश्न की संख्या 150,

विषय वस्तु का स्तर:–

(1) हिंदी भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन (कक्षा 12 स्तर तक)।

(2) शिक्षण दक्षता, बाल मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन दक्षता प्रबंधन और अभिवृत्ति –(डीएल एड पाठ्यक्रम तक)।

विषय	पाठ्यक्रम	अंक
हिन्दी भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी	व्याकरण और अपठित कहानी और कविता, व्याकरण आधारित प्रश्न	40
विज्ञान	दैनिक जीवन में विज्ञान, गति बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, प्राणी की दुनिया, स्वस्थ मानव शरीर, स्वच्छता और पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, माल और वस्तुओं की स्थिति।	10
गणित	संख्यात्मक योग्यता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थान वैधता, परिवर्तन, ब्याज, लाभ–हानि, प्रतिशत विभाजन, कारक, एकात्मक नियम, सामान्य बीज गणित, क्षेत्र औसत आयतन, अनुपात और सभी समस्याएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य साँख्यिकी	20
पर्यावरण और सामान्य अध्ययन	पृथ्वी का निर्माण, नदियाँ, पहाड़, द्वीप, समुद्र और जीवन, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर प्रणाली, भारतीय भूगोल, भारत स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सामाजिक सुधार, भारत का संविधान, हमारी शासकीय व्यवस्था, यातायात और सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और चुनौतियों, हमारी सांस्कृतिक पूर्वज, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन	10
शिक्षण दक्षता	शिक्षण और दक्षता का तरीका, शिक्षण का सिद्धांत, वर्तमान भारतीय	10

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

	सामाजिक और प्राथमिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का नया प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन और प्रारंभिक शिक्षा दक्षता मापन, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन	
बाल मनोविज्ञान	व्यक्तिगत विविधता, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के वातावरण के सिद्धांत का निर्माण और कक्षा शिक्षा में इसका व्यावहारिक उपयोग और गुण–अवगुण, विकलांग (दिव्यांगजन) छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था।	10
सामान्य ज्ञान/समसमायिकी	महत्वपूर्ण वर्तमान मामले–अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य से संबंधित, महत्वपूर्ण दुर्घटना स्थल, व्यक्तित्व, निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार/खेल, भारतीय संस्कृति और कला आदि।	30
तार्किक ज्ञान	समादृश्यता, दावे और कारण, द्विआधारी तर्क, वर्गीकरण, घड़ी और कैलेंडर, कोडेड असमानता, कोडिंग–डिकोडिंग, समीक्षात्मक तर्क, घन संख्या क्रम, पहेली, प्रतीक और अंकन, वैन आरेख और पासा, आँकड़ा व्याख्या, दिशा अर्थ परीक्षण, समूहीकरण और चयन, संदर्भ, अक्षर श्रृंखला।	5
सूचना प्रौद्योगिकी	विकास शिक्षण दक्षता, कला शिक्षण और स्कूल प्रबंधन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ओईआर (ओपन एजुकेशनल रिसोर्स), शिक्षा के महत्वपूर्ण एप, डिजिटल, शिक्षा सामग्री के उपयोग के बारे में जानकारी।	5
जीवन दक्षता/प्रबंधन और अभिरुचि	वाणिज्यिक प्रकृति और नीति, शिक्षण की प्रेरणात्मक भूमिका (सुविधा दाता, श्रोता, मार्गदर्शक, प्रेरक, सलाहकार), संवैधानिक और मानवीय योग्यता, सजा और पुरस्कार व्यवस्था और इसका प्रभावी उपयोग।	10

... ...

7. अर्हक अंक:

1. सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया/दिया जाएगा। सामान्य और ओबीसी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जो कुल 150 अंकों में से 67 अंक प्राप्त करते हैं, अर्थात 45% अंक या उससे अधिक प्राप्त करते हैं और तब केवल उन सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 40% अर्थात् 150 अंकों में से 60 अंक होंगा।

3. केवल सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने से उन उम्मीदवारों को रोजगार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि इस नियुक्ति के लिए केवल यह पात्रा मानदण्ड़ों में से एक है।"

8. दिनांक 15.03.2018 को, 22 वें संशोधन द्वारा, नियमावली 1981 में संशोधन किया गया था, जिसमें नियम 8 में निहित आवश्यक योग्यता से एटीआरई उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था। हालांकि सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया के लिए संबंधित नियम 14 में आवश्यकता को बरकरार रखा गया था। नियम 8 (1) का प्रासंगिक भाग जो "जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकाओं" के लिए शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है, इस प्रकार है:–

"ii. (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिग्री के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ–साथ बेसिक शिक्षक प्रमाण पत्र (बीटीसी), दो वर्ष बीटीसी (उर्दू) विशिष्ट बीटीसी की प्रशिक्षण योग्यता। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित दो वर्ष का शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) या प्राथमिक शिक्षा में चार वर्ष की डिग्री (बी. एल. एड.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुरूप

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्राथमिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जोड़ी जाने वाली कोई प्रशिक्षण योग्यता।

और

सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।"

चयन की प्रक्रिया से संबंधित नियम 14 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया:–

"14(1)(क)– रिक्तियों का निर्धारण

नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और नियम 5 के खंड (क) के तहत जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा, साथ ही नियम 9 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने वाली रिक्तियों की संख्या का भी निर्धारण करेगा और राज्य के साथ–साथ संबंधित जिले में भी पर्याप्त प्रसारित होने वाले कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले और सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और सरकार द्वारा आयोजित सहायक परीक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन मांगते हुए प्रकाशित करायेगा।

(ख) भर्ती परीक्षा– जूनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापिका की भर्ती के लिए खंड (क) के तहत प्रत्येक अधिसूचित रिक्ति के लिए सरकार द्वारा एक अलग सहायक परीक्षक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ग) सरकार समय–समय पर उन उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्णय ले सकती है, जो स्नातक के साथ बी. एड/बी. एड. (विशेष शिक्षा)/डी. एड. (विशेष शिक्षा) हैं और जिन्होंने प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। नियुक्ति के बाद इन उम्मीदवारों को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा, साथ ही नियम 9 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने की संख्या का भी निर्धारण करेगा और कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में जिनका राज्य में साथ ही संबंधित जिले में पर्याप्त प्रसार हो, उनमें उन उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया जाएगा जो स्नातक के साथ बी. एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा)/डी. एड. (विशेष शिक्षा) हैं और जिन्होंने सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण की है और सरकार द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने के विशेष प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों को नियमित वेतनमान में मूल पद के सापेक्ष जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी उक्त प्रशिक्षण के सफल समापन के प्रमाण पत्र जारी करने के एक महीने के भीतर सहायक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए बाध्य

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

होगा।

(2) मेरिट सूची तैयार करना– नियुक्ति प्राधिकारी उप–नियम (1) के खंड (ए) या खंड (सी) के तहत विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की एक मेरिट सूची तैयार करेगा।

(3) (क) नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (क) के अनुरूप उपनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से व्यवस्थित किए जाएंगे कि अभ्यर्थी परिशिष्ट – में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिंदुओं और अधिमान के अनुसार व्यवस्थित रहे।

बशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवारों को उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

बशर्ते कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को सहायक शिक्षक के पद की भर्ती में केवल 25 जुलाई, 2017 के बाद सरकार द्वारा आयोजित दो लगातार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अधिमान दिया जाएगा।

(ख) नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (सी) के अनुरूप उप–नियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति से व्यवस्थित किए जाएंगे कि अभ्यर्थी की व्यवस्था परिशिष्ट–II में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिंदुओं के अनुसार हो:

बशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा।

(ग) सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए नियम 14 के उप–नियम (1) के खंड (घ) के अनुसार तैयार सूची में उम्मीदवारों के नाम

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नियम 14 के खंड (ग) उप–नियम (3) के तहत तैयार की गई सूची के समान होंगे, जब तक कि उक्त सूची के तहत उम्मीदवार अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने के विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने में असमर्थ नहीं हो। यदि उम्मीदवार अपने दूसरे और अंतिम प्रयास में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो उम्मीदवार का नाम उन सभी उम्मीदवारों के नाम के नीचे रखा जाएगा जिन्होंने अपने पहले प्रयास में छह महीने का विशेष प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

(4) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका नाम उप–नियम (2) के तहत तैयार की गई सूची में शामिल न हो।

(5) नियम 14 के उप–नियम (3) के खंड (ए) और (बी) के अनुसार व्यवस्थित और उप–नियम (2) के तहत तैयार की गई सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रेषित किया जाएगा।"

9. मार्च, 2018 में, टीईटी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 3,86,000 उम्मीदवारों सहित लगभग 40,000 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हुए।

10. दिनांक 21.05.2018 को, क्रमशः सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के लिए 45–40% से 33–30% के अर्हता अंकों को शिथिल करते हुए एक जी.ओ. जारी किया गया था। कुछ उम्मीदवारों द्वारा रिट याचिका सं. 20404 वर्ष 2018 को दायर करके इस छूट को चुनौती दी गई थी और उक्त जी.ओ. के प्रवर्तन को उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा रोक दिया गया था।

11. दिनांक 27.05.2018 को एटीआरई–2018 आयोजित किया गया था। परिणाम में, 41,556 उम्मीदवारों को 45–40% के अर्हता अंक के साथ उत्तीर्ण घोषित किया गया था, जिनमें से 40296 उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था और 13.08.2018 को नियुक्ति के लिए चुने गए थे।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद इस संख्या में लगभग 4500 उम्मीदवार जोड़े गए।

12. दिनांक 28.06.2018 को, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'एनसीटीई') ने अपने ओएम दिनांक 23.08.2018 में संशोधन किया। दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना निम्नलिखित प्रभाव के लिए थी:–

> "एफ. सं. एनसीटीई–Regl 012/16/2018.– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 750 (ई) दिनांकित 31 मार्च, 2010 के अनुसरण में, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने एतद द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.एन. 61–03/20/2010/एनसीटीई (एन एंड एस), दिनांकित 23 अगस्त 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांकित 25 अगस्त 2010 में प्रकाशित, में निम्नवत् संशोधन किए, जिसे एतस्मिन पश्चात उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया गया है, अर्थात् :–
>
> (1) उक्त अधिसूचना में, उप–प्रस्तर (i) में प्रस्तर 1 में, "प्राथमिक शिक्षा में दो साल के डिप्लोमा (जिस भी नाम से जाना जाता है) शब्दों और कोष्ठकों के बाद, खंड (क) में, निम्नवत अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
>
> या
>
> "कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और स्नातक शिक्षा (बी.एड.)"
>
> (2) प्रस्तर 3 में उप–प्रस्तर (क) के लिए उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित उप–प्रस्तर को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:–

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"(क) जिसने किसी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक किया है, उस पर कक्षा I से V में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा जिसे प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के दो साल के भीतर करना होगा।"

13. दिनांक 26.09.2018 को, इस मुद्दे पर विचार करने के दौरान कि शिक्षा मित्र को किस चरण में *आनंद कुमार यादव*[2] और 1981 नियमावली में इस न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में उनके अनुभव के लिए अधिमान दिया जाना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने *कुलभूषण मिश्रा और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (विशेष अपील संख्या 812 वर्ष 2018 आदि) में निम्न अवलोकन किया:–

"…. हमारा विचार है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंकों में अधिमान को जोड़ने पर विचार नहीं किया गया था। "

14. दिनांक 01.12.2018 को, सहायक शिक्षकों की 69,000 रिक्तियों को भरने के लिए दूसरी एटीआरई (संक्षेप में, "एटीआरई–2019") को अधिसूचित करते हुए एक जी.ओ. जारी किया गया था। जी.ओ. के संलग्नक का प्रस्तर 1, 4.1, 4.2 और 5 निम्नवत थे:–

"बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों की स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों और लड़कों के विकास में प्रमुख भूमिका है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक राज्य स्तरीय सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

केवल वे उम्मीदवार जो स्नातक, प्रशिक्षित हैं और जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे उक्त परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे।

... ...

4. आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता, आयु और निवास:–

(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा (22 वां संशोधन) नियमावली, 2018 के नियम 8 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण उत्तीर्ण, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण उम्मीदवार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(2) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा कक्षा–1 से कक्षा–5 के संबंध में न्यूनतम योग्यता दिनांक 23.08.2010, 29.07.2011, 12.11.2014 और 28.11.2014 (प्रस्तावना 1.2 में परिशिष्ट–2 में वर्णित किया गया है) को अधिसूचना जारी की गयी और दिनांक 28.06.2018 को निर्धारित पात्र उम्मीदवार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 में आवेदन करने के हकदार हैं।"

5. सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की विषय वस्तु और संरचना: –

परीक्षा का समय 2.30 घंटा (सुबह 11.00 बजे से शाम 13.30 बजे तक), कुल अंक 150

प्रश्नों के प्रकार बहुत छोटे वैकल्पिक प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 150

विषय वस्तु का स्तर: –

(1) हिंदी भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन (कक्षा 12 स्तर तक)।

(2) शिक्षण दक्षता, बाल मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन दक्षता

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रबन्धता और अभिवृत्ति– (डी.एल.एड. पाठ्यक्रम)।"

इसके बाद संलग्न सारणीबद्ध सूची एटीआरई–2018 के जी.ओ. दिनांक 09.01.2018 के समान था। सूची समान विषयों के साथ समान पाठ्यक्रम और प्रत्येक विषय के सापेक्ष अंकों से संबंधित है।

15. इसके बाद 29.12.2018 को एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि एटीआरई–2019 06.01.2019 दिनांकित को आयोजित किया जाएगा।

16. दिनांक 03.01.2019 को, रिट ए संख्या 27461 वर्ष 2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था:–

> वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से की गई शिकायत यह है कि न्यूनतम योग्यता अंकों को अधिसूचित किए बिना प्रत्यर्थीगण 06.01.2019 दिनांकित को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019 की लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं।
>
> याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पहले जब परीक्षाएं आयोजित की गई थीं तो प्रत्यर्थीगणों द्वारा न्यूनतम योग्यता अंक विधिवत घोषित किए गए थे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01 दिसंबर, 2018 (रिट याचिका के लिए अनुबंध–1) को इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है।
>
> स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी सं. 1 और 3 की ओर से उपस्थिति दर्ज की है। श्री ए. के. यादव ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थिति दर्ज की है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सभी प्रत्यर्थीगणों को मामले में निर्देश लेने के लिए तीन दिन का समय दिया जाता है।

दिनांक 08.01.2019 को इस मामले को नए सिरे से रखें। ”

17. एटीआरई–2019 को 06.01.2019 दिनांकित को आयोजित किया गया था,

जिसमें न्यूनतम योग्यता अंकों का कोई विनिर्देश नहीं था।

18. हालाँकि, अगले दिन यानी दिनांक 07.01.2019 को, राज्य सरकार के विशेष सचिव द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:–

1. सेवा में,
निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2019

विषय:–उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के लिए 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' के संबंध में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के दिनांक 05 जनवरी, 2019 दिनांकित के पत्र संख्या बी.एस.सी. 16426–27/2018–19, जिसके तहत 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है, के संदर्भ में।

<u>उद्घोषणा</u>

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

2. इस संबंध में मुझे यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि सरकार द्वारा उचित विचार–विमर्श के बाद, 01.12.2018 दिनांकित के शासनादेश संख्या 2056/68–4–2018 के अनुसार, 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' आयोजित करने के लिए जारी किया गया, परिणाम के उद्देश्य से न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए जा रहे हैं। यह न्यूनतम योग्यता अंक केवल 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' के लिए होगा:–

(क) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, कुल 150 में से 97 अंक मतलब 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' के लिए उत्तीर्ण माना जाएगा।

(ख) सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल 150 में से 90 अंक मतलब 60% प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 'सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019' के लिए उत्तीर्ण माना जाएगा।

(ग) उपर्युक्त 'क' और 'ख' के आधार पर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी विज्ञापित 69000 रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने के लिए पात्र होंगे और केवल पूर्वोक्त न्यूनतम अंकों के आधार पर अर्हता प्राप्त करने
पर भर्ती के लिए कोई दावा नहीं होगा क्योंकि यह परीक्षा भर्ती के लिए
पात्र मानक में से केवल एक है।

(घ) कुल योग्य अभ्यर्थियों की निर्धारित संख्या (69000) से अधिक अभ्यर्थियों के मामले में पात्र अभ्यर्थयों का चयन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) नियम, 1981 के वें संशोधन के परिशिष्ट–। के अनुसार विज्ञापित पदों के विरुद्ध अंतिम मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। शेष अभ्यर्थी स्वत: चयन

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और उनके पास सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के आधार पर कोई दावा नहीं होगा।

(ङ) न्यूनतम अर्हक अंक के संबंध में किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।"

19. 16.01.2019 दिनांकित को या उसके बारे में, पहली याचिका अर्थात् रिट याचिका सं. 118(SS) वर्ष 2019 कुछ शिक्षामित्रों द्वारा उपरोक्त आदेश 07.01.2019 दिनांकित को चुनौती देते हुए और न्यूनतम अर्हता अंकों के निर्धारण को स्वीकार करते हुए दायर की गई थी। इन सब में 07.01.2019 दिनांकित के आदेश पर प्रश्न करते हुए शिक्षा मित्रों द्वारा लगभग 99 रिट याचिकाएँ दायर की गईं।

20. दिनांक 24.01.2019 को नियमावली, 1981 के 23 वें संशोधन को प्रकाशित किया गया था। इस संशोधन द्वारा, नियम 8 (ii) में अनिवार्य योग्यता को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था:–

"भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ – साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री, बेसिक शिक्षक प्रमाण पत्र (बीटीसी), द्विवर्षीय बीटीसी (उर्दू) विशिष्ट बीटीसी। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित शिक्षाशास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया), विनियम 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में चार वर्ष की डिग्री (बी. एल. एड.), प्राथमिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा (जो भी नाम से जाना जाता है), कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(बी. एड.), बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अनिवार्य रूप से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स, प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के दो साल के भीतर या प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रशिक्षण योग्यता
को पूर्ण करना होगा।

और

सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।"

इसके परिणामस्वरूप, संशोधन में निर्धारित तरीके से जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिकाओं के पदों के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.) की डिग्री प्राप्त करने वाले पात्र हो गए। ऐसे अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित नियमावली 1981 में संबंधित प्रावधानों को 01.01.2018 दिनांकित से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।

21. दिनांक 07.03.2019 को नियमावली, 1981 के 24 वें संशोधन को नियम 8(ii) में संशोधन करते हुए उप–खंड (क) के बाद उप–खंड (कक) को जोड़ने के द्वारा निम्नलिखित प्रभाव प्रकाशित किया गया था:–

"(कक) कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.), बशर्ते कि एक शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अनिवार्य रूप से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स, प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

> दो साल के भीतर या प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रशिक्षण योग्यता को पूर्ण करना होगा, और सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया गया हो।"

इस संशोधन ने दिनांक 28.06.2018 से नियम 8(ii) के उप खंड (एए) को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया।

22. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने WP No. 1188 (SS) वर्ष 2019 (मोहम्मद रिजवान एवं अन्य बनाम यूपी राज्य) और अन्य 98 रिट याचिकाओं को सामान्य निर्णय और आदेश 29.03.2019 दिनांकित द्वारा अनुमति दी। निर्णय से संबंधित कुछ प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:–

> "1. जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह शासनादेश संख्या 46/68–4–2019–2056/2019 7. 1. 2019 दिनांकित को विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–4, उ.प्र. सरकार, लखनऊ द्वारा जारी किया गया है, जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2019 के लिए न्यूनतम योग्यता अंक को सामान्य श्रेणी के लिए 65% और आरक्षित श्रेणी के लिए 60% निर्धारित करता है। निर्विवाद रूप से, कोई न्यूनतम अर्हता अंक शासनादेश 01.12.2018 दिनांकित और अधिसूचना/विज्ञापन 05.12.2018 दिनांकित के अनुसार तय नहीं किया गया है, जिसके अनुसार, प्रश्नगत परीक्षा दिनांक 6.1.2019 को आयोजित की गई है। निर्विवाद रूप से, न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित करने की कवायद पत्र संख्या B.Sh.P.–16426– 27/2018–19 5.1.2019 दिनांकित के अनुसार प्रारम्भ की गई है जो सचिव, बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्नगत परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने के लिए अनुरोध करते हुए सरकार को प्राथमिकता दी गई, इसका अर्थ यह है कि राज्य

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सरकार को सहायक शिक्षक परीक्षा, 2019 का परिणाम घोषित करने के लिए कुछ और तरीका अपनाना होगा।

.....

157. दी गई परिस्थितियों में यह नोट किया गया है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को इस तरह के उच्च न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित करके शॉर्टलिस्टिंग परीक्षा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं (शिक्षामित्रों) के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है जिससे 25 अंकों के अधिमान से वंचित होने की संभावना है जो 22 वें संशोधन में वैधानिक उल्लेख है। इसके अलावा, चूंकि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है और इसे नियमावली 1981 द्वारा 20 वें और 22 वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, इसलिए योग्यता अंक न्यूनतम योग्यता अंक होना चाहिए। इसके अलावा, उक्त अर्हता अंक को न्यूनतम की तरह देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, आनंद कुमार यादव (उपरोक्त) के वाद में शिक्षामित्रों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2018 की पूर्व परीक्षा में दिया गया था। चूंकि यह परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के संदर्भ में शिक्षामित्रों के लिए दूसरी और अंतिम परीक्षा होगी, इसलिए, यह परीक्षा अर्थात सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019 का आयोजन उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2018 का आयोजन किया गया है।

....

159. अधिक स्पष्ट होने के लिए, चूंकि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान प्रदान करना, नियम 14(3)(ए) के नियमों के तहत एक विधिक निर्देश है और वही अधिमान उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने न्यूनतम 45% और 40% अर्हक अंकों के साथ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, को पूर्व की परीक्षा में प्रदान किया गया है, इसलिए अर्हता अंकों को 65% और 60% तक बढ़ाते हुए, उन अभ्यर्थियों को अनुमति दी जाती है, जिनके पास बी.एड. की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

योग्यता है और परिशिष्ट–I के अनुसार उन अभ्यर्थियों को गुणवत्ता बिंदु अंक निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को बाहर करने का प्रयास प्रतीत होता है, जो अधिमान के लिए पात्र हैं।

....

163. यहां विधि के प्रासंगिक प्रावधान पर विचार करना उपयुक्त होगा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अर्हता अंक प्रदान करता है। नियमावली 1981 के नियम 2 (टी) (बाइसवें संशोधन, 2018 द्वारा संशोधित) के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हक अंक ऐसे होंगे जो NCTE द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं, जबकि नियम 2(x) के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अर्हक अंक का अर्थ है ऐसे न्यूनतम अंक जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं। पूर्वोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, एनसीटीई द्वारा योग्यता अंक निर्धारित किए जाएंगे और कोई सवार नहीं है कि क्या योग्यता अंक तय किए जाने चाहिए, इसलिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए दोनों श्रेणी के लिए अर्हता अंक 60% और 55% है और उस पर कोई विवाद नहीं है।

164. हालांकि, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में, यह स्पष्ट रूप से नियम 2(x) में संकेत किया गया है कि अर्हता अंक का अर्थ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित ऐसे न्यूनतम अंक है। पूर्वोक्त निर्देश के विवरण में, राज्य सरकार ने सबसे पहले दोनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 45% और 40% निर्धारित किए हैं और उसके बाद, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के समान चयन के लिए, इसे 33% और 30% के रूप में तय किया गया है जो राज्य सरकार समय–समय पर कोई न्यूनतम अंक निर्धारित कर सकती थी, इसलिए, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अर्हक अंक तय करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन ऐसे अर्हक अंक 'न्यूनतम' और 'न्यूनतम' को 'न्यूनतम' के रूप में देखा जाना चाहिए। 'न्यूनतम' को 'अधिकतम' के रूप में नहीं माना जा सकता।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

165. इसके अलावा, चूंकि वह व्यक्ति जो न्यूनतम अर्हता अंकों के साथ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करता है, उसे सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि, वह केवल अगले चरण में पहुंचने के लिए पात्र होगा, जिससे उसे अधिमान प्रदान किया जाएगा और उसकी कुल गुणवत्ता बिंदुओं की गणना की जाएगी। कुल गुणवत्ता बिंदुओं के आधार पर, अभ्यर्थी पात्र अभ्यर्थी के क्षेत्र में आएगा , जिसे उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सहायक शिक्षक के पद पर चुने जाने के योग्य नहीं बनाता है, लेकिन यह केवल उसे/उसके लिए अधिमान पाने के योग्य बनाता है, इसलिए, राज्य–प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि पात्र अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की योग्यता को 65% तक बढ़ा दिया गया है, गलत तर्क है।

172. जाहिर है, परीक्षार्थियों को प्रश्नगत परीक्षा से पहले न्यूनतम अर्हता अंक के बारे में राज्य सरकार के निर्णय के बारे में पता नहीं था, इसलिए इस तथ्य के अलावा कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम तय नहीं किए जा सकते हैं, यहां एक और पहलू प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए: पी.वी. इंदिरसन (2) (उपरोक्त) और राहुल दत्ता (उपरोक्त) के मामले में न्यूनतम पात्रता अंक परीक्षा से पहले घोषित किए जाने चाहिए और यदि प्रश्नगत परीक्षा से पहले अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं, तो बाद में तय नहीं किया जा सकता है, इसलिए आक्षेपित आदेश 07.01.2019 दिनांकित को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त कानूनों के अपमान में जारी किया गया कहा जाएगा।

173. इसलिए, उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, मेरा विचार है कि परीक्षा आयोजित करने से पहले सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंक घोषित न करने से सभी अभ्यर्थियों सहित याचिकाकर्ताओं को पूर्वाग्रह पैदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें परिणाम के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि आनंद कुमार यादव (उपरोक्त) के मामले में राज्य सरकार को माननीय

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए दो परीक्षाएं आयोजित करनी थीं, इसलिए, इन दो परीक्षाओं का तरीका शिक्षामित्रों के समान होना चाहिए, आनंद कुमार यादव (उपरोक्त) के निर्णय के अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019 अधिमान का लाभ पाने वाली दूसरी और आखिरी परीक्षा थी।"

22.1 बी. एड. उम्मीदवारों की पात्रता के मुद्दे पर विचार करते समय, यह अवलोकित किया गया:–

"154. यह सत्य है कि किसी भी रिट याचिका में कोई चुनौती नहीं है कि बी. एड. अभ्यर्थियों के लिए अनुचित और अनाधिकृत है और उन्हें परिशिष्ट–I के अनुसार गुणवत्ता बिंदु अंक प्राप्त करने पर चयन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त विसंगति की गई है, उन्हें प्रति शपथपत्र में या तर्क के माध्यम से कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

....

168. श्री यू.एन.मिश्रा के तर्क में भी मेरा पक्ष है कि यह नहीं समझा जा सकता है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 45% से बढ़ाकर 65% करने का उद्देश्य क्या है, जबकि यह केवल एक अर्हक परीक्षा है। श्री यू.एन. मिश्रा ने ठीक ही प्रस्तुत किया है कि यदि प्रति शपथपत्र का कथन सही माना जाता है, तो राज्य–प्रतिवादी के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए उक्त वृद्धि की गई है, तो सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी कौन हैं। चूँकि वर्तमान परीक्षा में बी.एड. अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया है, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षामित्रों को प्रश्नगत चयन से बाहर करने और बी.एड. अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए की गई है। यदि यह न्यूनतम अर्हता अंक बढ़ाने के लिए राज्य–प्रतिवादी का इरादा है, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि शिक्षामित्रों को 25 अंक अधिमान के रूप में मिलेंगे।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

....

178. इसके अलावा, राज्य–प्रतिवादी के अधिवक्ता को यह विश्वास नहीं हो सका कि परिशिष्ट –I के अनुसार बी.एड के अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक का निर्धारण/गणना कैसे की जाएगी जबकि इन बी.एड. अभ्यर्थियों को मद संख्या 4 [बी.टी.सी के अंक] और मद संख्या 6 [25 अंकों का अधिमान] के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। यदि इन बी. एड. अभ्यर्थियों को परिशिष्ट–II के अनुसार गुणवत्ता अंक अंक दिए जाते हैं, तो उन्हें आसानी से सभी मदों के लिए अंक मिल सकते हैं, लेकिन इस परीक्षा के लिए गुणवत्ता अंक की गणना परिशिष्ट–I के अनुसार की जाएगी।

179. यह न्यायालय इसके पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, लेकिन चूंकि इस विशेष बिंदु को सीधे आत्मसात नहीं किया गया है, इसलिए, इस बिंदु पर कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
180. हालांकि, यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि न तो बेसिक शिक्षा बोर्ड और न ही राज्य सरकार ने बी.एड की अनुमति वाले प्रश्नगत चयन करने से पहले उचित अभ्यास किया है, वर्तमान प्रश्नगत चयन में बी.एड अभ्यर्थियों के रूप में रिक्तियों का निर्धारण किए बिना, उनके गुणवत्ता अंकों की गणना के लिए विधि तय किए बिना उम्मीदवारों की संख्या में भारी वृद्धि की, बी.एड. अभ्यर्थियों के रूप में उनके लिए रिक्तियों का निर्धारण किए बिना बी.टी.सी. अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 07.01.2019 के शासनादेश के माध्यम से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019 के लिए न्यूनतम योग्यता अंक बढ़ाना और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2019 को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा–2018 से अलग तरीके से आयोजित करना, जबकि राज्य सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दो परीक्षाएं उसी तरह आयोजित करनी थीं। यह अस्पष्टीकृत विसंगति इस न्यायालय को पूरी चयन प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए मना सकती है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहले ही चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, इसलिए यह न्यायालय केवल सरकारी आदेश 07.01.2019 दिनांकित की उपयुक्तता की जांच/परीक्षण कर रहा है।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

22.2 यह निष्कर्ष निकाला गया: –

> "181. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार उद्धृत मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह सुविचारित मत है कि विधि की दृष्टि में 07.01.2019 दिनांकित शासकीय आदेश संवहनीय नहीं है एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला है क्योंकि यह लगातार दो परीक्षाओं में भाग लेने वाले समान रूप से स्थित व्यक्तियों के दो समूहों को अलग–अलग उपचार देकर एक अनुचित वर्गीकरण करता है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ बिना किसी संबंध के न्यूनतम योग्यता अंकों में भारी वृद्धि के लिए कोई वैध कारण और औचित्य नहीं है। आगे यह प्रतीत होता है कि 07.01.2019 दिनांकित सरकारी आदेश आनंद कुमार यादव (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लाभकारी निर्देश को फिर से शून्य कर रहा है, जिसके अनुसार अधिमान के 25 अंक नियमावली 1981 (22 वाँ संशोधन, 2018) के नियम 14(3)(ए) के तहत व्यावहारिक अनुभव के लिए जानबूझकर निर्धारित किए गए हैं जो योग्यता का एक अभिन्न अंग है।"

23. दिनांक 14.06.2019 को, नियमावली 1981 के 25 वें संशोधन को प्रकाशित किया गया था। इस संशोधन द्वारा, परिशिष्ट । जो नियम 14(3)(ए) के संदर्भ में था, को निम्नानुसार संशोधित किया गया था:–

"परिशिष्ट–।

अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणवत्ता अंक और अधिमान

	परीक्षा/डिग्री का नाम	**गुणवत्ता अंक**
1.	हाई स्कूल	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 10 /100
2.	इंटरमीडिएट	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 10 /100

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

3.	स्नातक डिग्री	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 10 /100
4.	प्रशिक्षण योग्यता का नियम	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 10 /100
5.	सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा	परीक्षा में अंकों का प्रतिशत x 60 /100
6.	<u>अधिमान</u> बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव	2.5 अंक प्रति पूर्ण शिक्षण वर्ष और अधिकतम 25 अंक तक, जो भी कम हो

नोटः

1. यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के पास समान गुणवत्ता अंक हैं, तो उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम सूची में उच्च रखा जाएगा।
2. यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के पास समान गुणवत्ता अंक और आयु है, तो उम्मीदवारों का नाम सूची में अंग्रेजी वर्णक्रम में रखा जाएगा।"

23.1 परिशिष्ट II, नियम 14(3)(बी) के संदर्भ में समान संशोधन द्वारा छोड़ दिया गया था।

23.2 इसके परिणामस्वरूप, परिशिष्ट I जैसा कि अब उक्त संशोधन के बाद बना है, नियम 14 में निर्दिष्ट दोनों स्रोतों के लिए एकमात्र और सामान्य परिशिष्ट है।

24. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश 29.03.2019 दिनांकित से उत्पन्न विशेष अपील, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा अपने सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 06.05.2020 द्वारा अनुमति दी गई थी। यह कहा जाना चाहिए कि यद्यपि एकल न्यायाधीश द्वारा 99 रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

थी और अपील केवल 24 मामलों को वरीयता दी गई थी। इसलिए, कई शिक्षामित्र जो एकल न्यायाधीश के समक्ष सफल हुए थे, डिवीजन बेंच के समक्ष पक्षकार नहीं थे।

25. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दो प्रमुख मुद्दों ; एक एटीआरई–2019 के लिए न्यूनतम योग्यता अंक के रूप में 65–60% के निर्धारण से संबंधित और विशेष रूप से परीक्षा आयोजित करने के बाद; और दूसरा नियमावली 1981 के तहत सहायक शिक्षकों के पदों के लिए बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधित विचार किया गया था।

25.1 पहले मुद्दे के संबंध में, डिवीजन बेंच के निष्कर्ष थे:–

> "71. आनंद कुमार यादव (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल यह प्रदान किया कि राज्य सरकार द्वारा अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ खुली और पारदर्शी चयन प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को आयु में छूट का लाभ दिए जाने के दौरान, लगातार दो चयनों में चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, और यह कहीं भी प्रदान नहीं करता है कि शिक्षा मित्र चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अन्य योग्य उम्मीदवारों के अलावा एक सजातीय वर्ग का गठन करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्कूली बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कहा कि सहायक शिक्षक के पद पर अयोग्य शिक्षा मित्र का नियमितीकरण अवैध था क्योंकि स्कूल के बच्चे जिनके हितों का विधिवत प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत योग्य शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और उन उम्मीदवारों की योग्यता को उचित महत्व दिया, जो अंततः सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं क्योंकि यदि योग्यता चयन

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रक्रिया में समझौता किया जाता है तो अंतिम छोटे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होंगे ।

72. एक सामान्य भाषा के रूप में, परीक्षा आयोजित होने के बाद योग्यता अंक निर्धारित किए जाते हैं क्योंकि भर्ती प्राधिकरण यह आकलन करने की स्थिति में है कि अभ्यर्थियों ने रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क का निर्धारण करते हुए और कैसा प्रदर्शन किया है। 1.12.2018 दिनांकित विज्ञापन में राज्य सरकार ने एटीआरई–2019 को अर्हता प्राप्त करने के लिए कटऑफ अंकों की घोषणा नहीं की।

73. इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ताओं के तर्क और विद्वान रिट न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष 07.01.2019 दिनांकित सरकारी आदेश द्वारा कट–ऑफ अंक 45% और 40% से बढ़ाकर 65% और 60% करने से आनंद कुमार यादव (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपयोगी निर्देश शून्य हो रहा है जिससे वह टिक नहीं सकता, और यह समय से पहले है क्योंकि लाभ केवल भर्ती के समय मिलता है, एक बार जब वे निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हैं और उनके नाम नियमावली 1981 के नियम 14(2) के तहत तैयार की गई मेरिट लिस्ट में प्रकाशित होता है।"

25.2 बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में मुद्दा निम्नानुसार था:–

"81. दिनांक 28.6.2018 को 23.8.2010 दिनांकित एनसीटीई अधिसूचना में संशोधन के गुण पर, विशेष अपील संख्या 165(डी) वर्ष 2019 के अपीलार्थीगणों ने दिनांक 18.11.2018 को टीईटी परीक्षा में भाग लिया और उसे उत्तीर्ण किया और इसलिए एटीआरई 2019 में शामिल होने के लिए पात्र हो गए, 28.6.2018 दिनांकित एनसीटीई अधिसूचना द्वारा 23.8.2010 दिनांकित अधिसूचना में संशोधन के बारे में अच्छी तरह से जानने वाले रिट याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिसूचना की वैधता को कभी चुनौती नहीं दी और इस प्रकार, एनसीटीई द्वारा

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जारी अधिसूचना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत जो सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 66 के संदर्भ में है जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी है और यहां तक कि शिक्षा में मानकों को निर्धारित करने के मामले में राज्य द्वारा किए गए एक विधायी अभ्यास को एनसीटीई की अधिसूचनाओं के अनुरूप होना होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 के लिए संदर्भित है, जो समवर्ती सूची में होने के अलावा, सूची – । की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के अधीन है। राज्य सरकार ने एनसीटीई द्वारा जारी किए गए आदेश का ठीक से पालन किया और बी.एड. अभ्यर्थियों को दूसरे एटीआरई–2019 में शामिल होने की की अनुमति दी।

....

87. सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली भर्ती पर बाध्यकारी है। बी. एड. अभ्यर्थियों की भागीदारी को विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी और और 29.3.2020 दिनांकित आक्षेपित आदेश में किए गये अवलोकन बी.एड. अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में भागीदारी से संबंधित केवल इतरोक्ति है, जिनका 7.1.2019 दिनांकित सरकारी आदेश की वैधता के संबंध में विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे एटीआरई–2019 परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए थे।

....

89. यूपी राज्य बनाम शिव कुमार पाठक (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि एनसीटीई द्वारा प्रतिपादित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हैं क्योंकि NCTE ऐसी शैक्षणिक योग्यता का सक्षम प्राधिकारी है और इसलिए, बी.एड्. अभ्यर्थियों को 1.12.2018 दिनांकित के वैधानिक दिशानिर्देशों के खंड 4(2) में राज्य सरकार द्वारा शामिल

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किया गया था। पूर्वोक्त खंड में, स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अधिसूचना दिनांक 28.6.2018 को NCTE द्वारा जारी किया गया था, जिसके तहत बी.एड्. अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा I से V शिक्षण के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र बनाया गया था, बशर्ते कि एक सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अनिवार्य रूप से सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

....

92. इस प्रकार, हमारा विचार है कि एक बार बी. एड. अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के अधीन विचार करने के योग्य बनाया गया था, राज्य सरकार उन्हें ARTE–2019 में भाग लेने की अनुमति देने के लिए बाध्य थी, जो कि सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार की जाने वाली न्यूनतम योग्यता है। तदनुसार, राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले, उन्हें एनसीटीई अधिसूचना के साथ संरेखित करने के लिए नियमावली 1981 में आवश्यक संशोधन किए।

25.3 उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा जारी किए गए क्रियाशील निर्देश थे:–

"105. उपर्युक्त कारणों के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि 7.1.2019 दिनांकित सरकारी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और न ही यह आनंद कुमार यादव (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अनुचित वर्गीकरण या शून्य कर रहा है। तदनुसार, हमने शिक्षामित्रों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 1188 (एसएस) वर्ष 2019 और अन्य संबद्ध मामलों में 29.3.2019 दिनांकित आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और सभी विशेष अपीलों की अनुमति देकर उक्त रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं और यूपी राज्य को निर्देश देते हैं कि परीक्षा का परिणाम घोषित करें जो कि 7.1. 2019 दिनांकित सरकारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 6.1.2019 को आयोजित किया गया था, जो कि भोला प्रसाद शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किया गया था। हस्तक्षेप/अभिवाद/दीवानी प्रकीर्ण वाद के सभी आवेदनों का भी समान शर्तों के साथ निपटारा किया जाता है।"

26. तदनुसार, परीक्षा निकाय द्वारा परिणाम दिनांक 12.05.2020 को घोषित किया गया था और 1,46,060 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने दिनांक 16.05.2020 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें उन अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिन्हें एटीआरई–2019 में सफल घोषित किया गया था।

27. उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय से व्यथित होकर विभिन्न अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपीलों को विशेष अनुमति द्वारा वरीयता दी गई है। एक रिट याचिका को भी प्राथमिकता दी गई है। मोटे तौर पर, मामलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। i) शिक्षा मित्र, ii) बी.एड्./बीटीसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति; और iii) भूतपूर्व सैनिक या विकलांग व्यक्ति आदि द्वारा दायर किया गया। ये मामले अपील के तहत निर्णय में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा विचार किए गए ऊपर कहे गए दो मुद्दों से संबंधित हैं।

हालाँकि, एसएलपी(डायरी) सं. 13142 वर्ष 2020 उन व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया, जो उच्च न्यायालय में कार्यवाही के किसी भी स्तर पर पक्षकार नहीं थे, विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति चाहते हैं और निवेदन करते हैं कि उन्हें परीक्षा में गलत प्रश्नों का लाभ दिया जाए। चूंकि उक्त याचिका में उठाया गया मुद्दा बाकी मामलों से असंबद्ध है, इसलिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी गई है। संबंधित याचिकाकर्ता उचित रूप से

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

स्थापित कार्यवाही में, यदि आवश्यक हो, तो इस मुद्दे पर विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बाकी मामलों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में सारणीबद्ध किया जा सकता है :

[A] शिक्षामित्रों द्वारा दायर किया गया

क्रम सं.	**सिविल अपील से उद्भूत**	**याचिकाकर्ता/आवेदक**
i.	एसएलपी (सी) संख्या 6841 वर्ष 2020	275
ii.	एसएलपी (सी) संख्या 6847 वर्ष 2020	4
Iii.	एसएलपी (सी) संख्या 7817 वर्ष 2020	34
iv.	एसएलपी(सी) (D. No. 12246) वर्ष 2020	27
v.	एसएलपी(सी) (D. No. 11450) वर्ष 2020	795
vi.	एसएलपी(सी) (D. No. 13259) वर्ष 2020	23
Vii.	एसएलपी(सी) (D. No. 12452) वर्ष 2020	98
Viii.	एसएलपी(सी) (D. No. 14138) वर्ष 2020	174
ix.	एसएलपी(सी) (D. No. 11452) वर्ष 2020	1352
x.	एसएलपी (सी) संख्या 6842 वर्ष 2020	11
xi.	एसएलपी (सी) संख्या 6687 वर्ष 2020	4
Xii.	एसएलपी(सी) (D. No. 11331) वर्ष 2020	5
Xiii.	एसएलपी (सी) संख्या 6848 वर्ष 2020	6
Xiv.	एसएलपी (सी) संख्या 6845 वर्ष 2020	24
xv.	एसएलपी (सी) संख्या 6850 वर्ष 2020	3
Xvi.	एसएलपी (सी) संख्या 6851 वर्ष 2020	166
Xvii.	एसएलपी(सी) (D. No. 13872) वर्ष 2020	246
Xviii.	एसएलपी (सी) संख्या 6846 वर्ष 2020	संगठन द्वारा
Xix.	एसएलपी(सी) (D. No. 13888) वर्ष 2020	80

B] बी.एड./बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा दायर किया गया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

क्रम सं.	रिट याचिका और सिविल से उद्भूत	याचिकाकर्ता/आवेदक
i.	एसएलपी(सी) (D. No. 12016) वर्ष 2020	4
ii.	एसएलपी(सी) (D. No. 12798) वर्ष 2020	62
Iii.	एसएलपी(सी) (D. No. 13517) वर्ष 2020	4
iv.	एसएलपी(सी) (D. No. 13182) वर्ष 2020	45
v.	एसएलपी(सी) (D. No. 13639) वर्ष 2020	5
vi.	रिट याचिका(सी) 703 वर्ष 2020	2

C] पूर्व सैनिकों या विकलांग व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया

क्रम सं.	रिट याचिका और सिविल से उद्भूत	याचिकाकर्ता/आवेदक
i.	एसएलपी(सी) D. No. 12189 वर्ष 2020	75
ii.	एसएलपी(सी) (D. No. 11446) वर्ष 2020	56
Iii.	एसएलपी(सी) (D. No. 13288) वर्ष 2020	16
iv.	एसएलपी(सी) (D. No. 12792) वर्ष 2020	13

28. मामलों में नोटिस जारी करते हुए, 21.05.2020 दिनांकित आदेश द्वारा राज्य सरकार को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था: –

> "(i) वर्तमान में राज्य में कितने शिक्षामित्र कार्यरत हैं और तत्काल चयन प्रक्रिया में कितने शिक्षामित्र शामिल हुए हैं;
>
> (ii) सामान्य श्रेणी में कितने शिक्षामित्रों ने 45% से अधिक अंक या आरक्षित श्रेणी में 40% से अधिक अंक प्राप्त किए;"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

29. राज्य की ओर से दायर प्रति शपथपत्र में प्रस्तर 6,18 और 32 में निम्नलिखित विवरण किए गए थे:–

> "6. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 1,78,000 'शिक्षामित्र', जिन्हें संविदा के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भाग्यवश नियुक्तियां दी गईं, कुल लगभग 1,37,500 'शिक्षामित्रों' को जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 में नियम नियम 16–ए के प्रावधान को लागू करते हुए 30.05.2014 दिनांकित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन द्वारा सहायक शिक्षक के रूप में राज्य की नियमित सेवा में समायोजित किया गया और राज्य सरकार के परिणामी कार्यकारी आदेशों को रिट–ए सं. 34833 वर्ष 2014, आनंद कुमार यादव एवं अन्य बनाम भारत संघ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, के समक्ष चुनौती दी गई थी।
>
> ....
>
> 18. यह तर्क दिया गया है कि एटीआरई–2019 में शामिल होने और योग्य अभ्यर्थियों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या का विवरण निम्नानुसार है;

1.	कुल पंजीकृत अभ्यर्थी	14,31,466
2.	कुल उपस्थित अभ्यर्थी	4,09,5302
3.	सामान्य श्रेणी में कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का 65% कट ऑफ	36,614
4.	आरक्षित श्रेणी में कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का 60% कट ऑफ	1,09,446
	कुल उत्तीर्ण (बिन्दु सं. 3+ 4)	**1,46,060**
5.	परीक्षा में उपस्थित हुए कुल शिक्षामित्र	45,357

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

6.	सामान्य वर्ग में उत्तीर्ण हुए शिक्षा मित्रों का 65% कट ऑफ	61561
7.	आरक्षित वर्ग में उत्तीर्ण हुए शिक्षा मित्रों का 60% कट ऑफ	76457
	उत्तीर्ण हुए कुल शिक्षा मित्र (बिंदु 6+ 7)	**8,018**
	45% या 40% कट ऑफ के संदर्भ में जानकारी	
1.	सामान्य वर्ग के शिक्षा मित्र जिन्होंने लगभग 45% से 65% बीच अंक प्राप्त किए	18,858
2.	आरक्षित वर्ग के शिक्षा मित्र जिन्होंने लगभग 40% से 60% बीच अंक प्राप्त किए	23,771
	कुल 1 + 2	**32,629**
3.	सामान्य वर्ग (शिक्षा मित्र के अलावा) अभ्यर्थियों के लगभग 45% से 65% के बीच प्राप्त अंक	65,080
4.	आरक्षित वर्ग (शिक्षा मित्र के अलावा) अभ्यर्थियों के लगभग 40% से 60% के बीच प्राप्त अंक	1,50,4264
	कुल 3+ 4	**2,15,506**

32. 21.05.2020 दिनांकित आदेश के अनुपालन में विवरण नीचे दिए गए हैं,

क्रम सं.	**विवरण**	**विवरण**
1.	वर्तमान में राज्य में कार्यरत शिक्षामित्रों की संख्या	1,52,330
2.	एटीआरई–2019 में शामिल शिक्षामित्रों की संख्या	45,357
3.	सामान्य वर्ग में 45% से अधिक अंक प्राप्त किए गये शिक्षामित्रों की संख्या	9386
4.	आरक्षित वर्ग में 40% अंक प्राप्त किए गये शिक्षामित्रों की संख्या	23,243
	कुल (3) और (4)	32,629
5.	सामान्य वर्ग में 65% अंक प्राप्त किए गये शिक्षामित्रों की संख्या	1561
	आरक्षित वर्ग में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए गये शिक्षामित्रों की संख्या	6457
	कुल (5) और (6)	8018

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"

29.1 प्रति शपथपत्र में यह भी तर्क दिया गया था:–

> "11. यह तर्क दिया जाता है कि 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए एटीआरई–2018 के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एटीआरई केवल एक योग्यता परीक्षा है और जो रिक्ति के एक विशेष वर्ष के लिए आयोजित की जाती है। इस प्रकार सहायक शिक्षकों की 68500 रिक्तियों को भरने के लिए एटीआरई–2018 आयोजित किया गया था। एटीआरई–2018 के लिए 09.01.2018 दिनांकित के दिशानिर्देशों का खंड 1(ख) स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि परीक्षा केवल इस भर्ती के लिए वैध है। आगे खंड 7(3) में कहा गया है कि एटीआरई उत्तीर्ण करने से उन अभ्यर्थियों को रोजगार का कोई अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि यह चयन के योग्यता मानदंडों में से केवल एक है।
>
> 12. एटीआरई–2018 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,07,873 है, जिनमें से 41556 उत्तीर्ण हैं। एटीआरई–2018 में भाग लेने वाले कुल शिक्षा मित्र 34,311 हैं, जिनमें से 8588 उत्तीर्ण हैं।
>
> 13. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एटीआरई–2018 को नियुक्ति के एक विशेष वर्ष के लिए अर्हक परीक्षा के रूप में आयोजित किया गया था, जहां सामान्य और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए योग्यता अंक 45% और 40% निर्धारित किए गए थे। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत कि एटीआरई–2019 के लिए एटीआरई–2018 के कट ऑफ अंक पूरी तरह से गलत हैं।
>
> ....
>
> 26. इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि अर्हता अंक तय करना परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने या किसी भी मानदंड को बदलने के लिए नहीं है। परीक्षा समाप्त होने के बाद मामले की किसी भी दृष्टिकोण से, केवल शीर्ष से योग्यता में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही भर्ती के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लिए हकदार हैं और ऐसा करते समय, इस बात की संभावना है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत और अधिक बढ़ सकता है यद्यपि 69000 रिक्तियों के सापेक्ष 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इस प्रकार, न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना न तो अवैध है और न ही मनमाना है। माननीय उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में विस्तार से चर्चा की है और अवधारित किया है कि कट ऑफ अंक तय करना न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण। आक्षेपित निर्णय के प्रस्तर 72 और 73 में विद्वान डिवीजन बेंच ने अवधारित किया है कि राज्य सरकार ने 01.12.2019 दिनांकित विज्ञापन में सही तरीके से एटीआरई–2019 में आवेदन करने के लिए कट ऑफ अंक तय नहीं किया है क्योंकि भर्ती प्राधिकारी यह आकलन करने की स्थिति में हैं कि अभ्यर्थियों ने रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क का प्रदर्शन और निर्धारण किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने आगे यह अवधारित किया कि आनंद कुमार यादव मामले में माननीय न्यायालय का लाभकारी निर्देश एक बार निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

....

28. याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि शिक्षामित्र जो एटीआरई–2018 और एटीआरई–2019 में एक सजातीय वर्ग के रूप में दिखाई दिए जो पूर्णतः गलत है। माननीय डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को सही ठहराया है कि वे एक सजातीय वर्ग का गठन नहीं करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आनंद कुमार यादव मामले में माननीय न्यायालय ने यह कभी नहीं अवधारित किया कि शिक्षामित्र सजातीय वर्ग का गठन करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों परीक्षाएं अलग–अलग रिक्तियों के लिए अलग–अलग दिशानिर्देशों के तहत आयोजित की गई थीं, इसलिए यह पूरी तरह से गलत तर्क है कि दोनों एटीआरई के लिए समान कट ऑफ अंक होना चाहिए। "

30. यहां यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षामित्रों द्वारा धारित पदों और जो एटीआरई–2019 में शामिल हुए थे, उसको छोड़कर, राज्य

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सरकार को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के शेष पदों को भरने की अनुमति दी गई थी।

31. वर्तमान मामले में प्रतियोगिता मुख्य रूप से एक तरफ शिक्षा मित्रों के बीच है, जो 65–60% के स्तर पर न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने और बी.एड. अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए व्यथित हैं; जबकि विपक्ष राज्य सरकार और बी.एड./बीटीसी अभ्यर्थी जो गैर शिक्षामित्र है।

32. शिक्षामित्रों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया, श्री सी.ए. सुंदरम, श्री राकेश द्विवेदी, डॉ. राजीव धवन, श्री निधेश गुप्ता, श्री वी. शेखर, श्री एस. गुरु कृष्ण कुमार, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, श्री दिनेश दिवेदी, श्री के.टी.एस. तुलसी, श्री जयंत भूषण, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता और श्री गौरव अग्रवाल और सुश्री तान्या अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया । उनके तर्क थे:–

क) 1,37,500 शिक्षामित्र, जिन्हें प्रारंभ में नियमित सेवा में समायोजित किया गया था और जिनका समायोजन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप अपास्त किया गया था और इस न्यायालय द्वारा *आनंद कुमार यादव* मामले में एक सजातीय वर्ग का गठन किया गया था।

(ख) एटीआरई–2018 के लिए 45–40% के स्तर पर न्यूनतम योग्यता प्रतिशत के विपरीत, एटीआरई–2019 के लिए 65–60% के स्तर पर न्यूनतम योग्यता प्रतिशत के निर्धारण ने शिक्षामित्रों के दो समूहों के बीच अप्राकृतिक और मनमाना अंतर पैदा किया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ग) 65–60% पर ऐसा निर्धारण परीक्षा के बाद किया गया था और यह परीक्षा के बाद खेल के नियमों को बदलने के समान होगा। इस न्यायालय के निर्णय पर *के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य* [12] मामलों में अवलम्ब लिया गया था।

घ) पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से सेवा में होने के कारण, जहां उन्हें आवश्यक योग्यता प्राप्त करने और अपने सेवा दायित्वों का निर्वहन करते हुए एटीआरई–2019 के लिए तैयारी करने की आवश्यकता थी, शिक्षामित्रों को बी. एड./बीटीसी योग्यता रखने वाले नए स्नातकों के समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता था।

ङ) एटीआरई– 2019 में 65–60% पर न्यूनतम योग्यता प्रतिशत के निर्धारण में शिक्षामित्रों के विरूद्ध बाहर करने का तत्व शामिल है, जो नियमावली 1981 में विशिष्ट संशोधन के संदर्भ में शिक्षामित्र के रूप में अपने अनुभव के लिए अधिमान के हकदार होने के बावजूद, अब उक्त लाभ के लिए इनकार किया जा रहा था। नियमावली 1981 के अनुसार, एटीआरई में प्राप्त किए गये अंकों का केवल 60% ही गुणवत्ता अंकों को प्राप्त करने के अन्य मापदंडों के साथ माना जाएगा। हालांकि, एटीआरई–2019 एक प्रमुख चयन मानदंड में बदल गया।

(च) पूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण के साथ, उन्हें आवंटित की जाने वाली सीटें 3450 हो गईं, जिसके सापेक्ष लगभग 650–700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 65–60% कट ऑफ स्तर पर, उनमें से बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा। अन्य आरक्षित श्रेणियों जैसे शारीरिक रूप से विकलांग और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के संबंध में भी यही स्थिति

---

12 (2008) 3 SCC 512

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

होगी। इन सभी श्रेणियों में 45–40% कट ऑफ की संभावना अधिक होगी।

बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता के मुद्दे के संबंध में, कुछ विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि:–

i) नियमावली 1981 के अनुसार, जब एटीआरई–2019 आयोजित किया गया था तब बी. एड. डिग्री धारकों को सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन पहले उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा; और वे प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में छह महीने के प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात ही सहायक शिक्षक के पदों के लिए मान्य होंगे।

ii) नियम 14 (बी) के अनुसार, सरकार को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर विचार करना और निर्णय लेना था, जो अभ्यास कभी नहीं किया गया था।

iii) एटीआरई–2019 आयोजित होने के बाद नियमावली 1981 में 23 वें, 24 वें और 25 वें संशोधन प्रभावित हुए। इन संशोधनों को दिया गया पूर्वव्यापी प्रभाव राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति से परे था और इस प्रकार स्पष्ट अवैधता को नहीं बचा सका।

33. राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी, जबकि और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बी. एड./बीटीसी उम्मीदवारों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एचएन साल्वे, श्री आर. वेंकटरमणानी, श्री पल्लव सिसोदिया, श्री के.वी. विश्वनाथन, सुश्री वी. मोहना उपस्थित हुए। उनके तर्क इस प्रकार थे:–

क) यह राज्य का अपना अधिकार था कि वह 65–60% के स्तर पर कट ऑफ अंक तय करे। नियमावली 1981 के नियम 2(1)(x) के अनुसार, एटीआरई के संबंध में अर्हक अंक "ऐसे न्यूनतम अंक होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं"।

ख) 07.01.2019 दिनांकित आदेश से प्रकट हुआ कि कट ऑफ को निर्धारित करने का प्रस्ताव दिनांक 05.01.2019 को शुरू किया गया था, यानी एटीआरई–2019 से पहले दिनांक 06.01.2019 को आयोजित किया गया था। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि टीईटी–2018 में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 3,86,000 सफल घोषित किए गए थे और "प्रतिस्पर्धा की संभावना होने के कारण" यह प्रस्ताव किया गया था कि कट ऑफ अंक टीईटी परीक्षा से 5% अधिक निर्धारित किए जाएँ।

ग) 65–60% स्तर पर कट ऑफ अंक तय करने के कारण थे:–

(i) आवेदनों की बढ़ती संख्या के कारण चयन के दायरे को कम करना; और

(ii) शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार प्राप्त करने के लिए जिससे उच्च अंकों वाले मेधावी अभ्यर्थियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(iii) एटीआरई–2019 की प्रणाली पूर्णतः अलग थी। एटीआरई–2018 में आवश्यक संक्षिप्त वर्णनात्मक उत्तरों के विपरीत , एटीआरई–2019 में बहुविकल्पीय–वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर जोर दिया गया था।

घ) खेल के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि 07.01.2019 दिनांकित आदेश द्वारा पहली बार कट ऑफ अंक निर्धारित किए गए थे। *योगेश यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य* [13] और *झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता* [14] में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया गया था।

ङ) एटीआरई केवल उस विशेष वर्ष की भर्ती के लिए वैध था और अभ्यर्थियों को संबंधित एटीआरई परीक्षा से संबंधित भर्ती की शर्तों का पालन करना था। शिक्षामित्र, जो एटीआरई–2018 और एटीआरई–2019 में शामिल हुए थे, समान वर्ग में नहीं आते।

च) चूंकि गुणवत्ता अंक तैयार करते समय एटीआरई से 60% अंकों को ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी के लिए एटीआरई–2019 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने का कोई अवसर नहीं था।

इस प्रकार, विज्ञापन/दिशानिर्देशों में कट ऑफ अंकों को न दिखाया जाना असंगत था।

छ) बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता और हकदारी एटीआरई–2019 में भाग लेने के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष कभी चुनौती नहीं दे रहे थे।

---

13 (2013) 14 SCC 623

14 (2020) 1 SCALE 504

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ज) 01.12.2018 दिनांकित दिशानिर्देशों में, 'न्यूनतम योग्यता' शीर्षक के तहत, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि अभ्यर्थियों की पात्रता एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के संदर्भ में होगी, जिसमें दिनांक 28.06.2018 भी शामिल है।

(ज) भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले नियमावली 1981 में संशोधन किया गया था जो अब सीधे बी.एड अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए प्रदान किया गया था जो सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के बाद के प्रशिक्षण जो कानून के अनुसार था, के अधीन थे।

34. विद्वान अपर महाधिवक्ता सुश्री भाटी द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि राज्य शिक्षामित्रों को पूर्वाग्रह के किसी भी प्रभाव को दूर करने के लिए अगले चयन में प्रतिस्पर्धा करने का एक और अवसर प्रदान करेगा लेकिन वर्तमान चयन को 65–60% के कट ऑफ स्तर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

34.1 राज्य की ओर से दायर लिखित कथन में, निम्नलिखित उदाहरण दिया गया था:–

"3. एक सारणीबद्ध चार्ट से पता चलता है कि यदि कट ऑफ अंक 65% और 60% से घटाकर 45% और 40% कर दिया जाता है तो एक अभ्यर्थी जिसने 70% अंक प्राप्त किए हैं, उसे एक शिक्षामित्र जिसने 50% अंक प्राप्त किए हैं द्वारा बाहर कर दिया जाएगा।

नियम 14 [गुणवत्ता अंक] के अनुसार अंतिम मेरिट सूची	संपूर्ण 70% शैक्षणिक अंक के साथ शिक्षामित्र के अलावा	एक शिक्षा मित्र जिसका शैक्षणिक अंक 50% है

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तैयार करने के लिए प्राप्त किए गये अंकों का प्रतिशत	अन्य अभ्यर्थी के अंक	
हाई स्कूल 10%	7	5
इंटरमीडिएट 10%	7	5
स्नातक 10%	7	5
प्रशिक्षण प्रमाणपत्र 10%	7	5
एटीआरई–2019 में प्राप्त अंक	42 (यदि उसे 70% मिलता है)	27 (यदि उसे एटीआरई में 45% मिलता है)
<u>अधिमान</u> शिक्षामित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष से 25 अंक	कोई अधिमान नहीं	कुल 25 अंक
कुल अंक	70 अंक	72 अंक

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि कट ऑफ अंक 65% और 60% से घटाकर 45% और 40% कर दिया जाता है तो न केवल शिक्षकों की गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा, बल्कि एक मेधावी अभ्यर्थी को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।"

34.2 बी.एड./बीटीसी अभ्यर्थियों की ओर से दायर लिखित कथन में, निम्नलिखित सूची भी प्रस्तुत किए गए थे:–

"एटीआरई 2018 और 2019 के महत्वपूर्ण आंकड़े

क्रम सं.	**पैरामीटर**	**एटीआरई 2018**	**एटीआरई 2019**
1.	रिक्तियों की कुल संख्या	68500	69000
2.	शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	1,07,000	4,09,530
3.	अर्हक अंक	40–45%	60–65%
4.	उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या	41,556	1,46,078

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

		(38.83%)	(37.62%)
5.	शामिल होने वाले शिक्षामित्रों की कुल संख्या	34,311	45,357
6.	उत्तीर्ण होने वाले शिक्षामित्रों की कुल संख्या	8588 (25.02%)	8,018 (17.67%)
7.	एटीआरई 2019 में 40–45% और 60–65% अंकों के बीच प्राप्त हुए शिक्षामित्रों की कुल संख्या	लागू नहीं	32,629
8.	एटीआरई 2019 में 40–45% और 60–65% अंकों के बीच प्राप्त अन्य अभ्यर्थियों की कुल संख्या	लागू नहीं	2,15,506
9.	कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो 40–45% कट–ऑफ के अनुसार उत्तीर्ण होंगे	41,556 (38.83%)	4,02,2013 (98.21%)

"निम्नलिखित सूची से पता चलता है कि यदि एटीआरई –2019 में अर्हक अंक 45% तक कम हो जाते हैं तो शिक्षामित्र, जो अपने शैक्षणिक करियर के माध्यम से 35% अंक (बीटीसी में 50% को छोड़कर, जो उत्तीर्ण अंक है) प्राप्त करता है, का चयन कैसे किया जाएगा, जबकि बीटीसी के अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक करियर के माध्यम से 67% अंक प्राप्त होते हैं:

	मैट्रिक (सम्पूर्ण % का 10%)	**10+ 2 (सम्पूर्ण % का 10%)**	**स्नातक (सम्पूर्ण % का 10%)**	**बीटीसी/बी. एड. (सम्पूर्ण % का 10%)**	**अधिमान 2.5 अंक/वर्ष**	**एटीआरई–19 (सम्पूर्ण % का 60%)**	**कुल अंक**
शिक्षामित्रों का शैक्षणिक में 35%	3.5	3.5	3.5	5	25	27 (45%)	67.5
अन्य का शैक्षणिक में 67%	6.7	6.7	6.7	6.7	0	40.2 (67%)	67

35. जैसा कि राज्य के प्रति शपथपत्र में कहा गया है, 1,78,000 शिक्षामित्रों को

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संविदा के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्तियां दी गई थीं उनमें से 1,37,500 शिक्षामित्रों को जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। उनका समायोजन चुनौती का विषय था और राज्य द्वारा पारित आदेशों को इस आधार पर अपास्त कर दिया गया कि जिन लोगों के पास जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, उन्हें ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। 1,37,500 की संख्या का कुछ महत्व है क्योंकि एटीआरई–2018 और एटीआरई–2019 सहायक शिक्षकों के क्रमशः 68,500 और 69,000 पदों को भरने के लिए आयोजित किए गए थे; जो कुल 1,37,500 होते हैं।

विनियम 1981 में उपयुक्त संशोधन के बाद, शिक्षा मित्र "जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका" के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हो गए, बशर्ते कि उन्होंने विनियम 1981 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली हो।

प्रति शपथपत्र के प्रस्तर 34 के अनुसार, 1,52,330 शिक्षामित्र वर्तमान में राज्य में कार्यरत हैं और 45,357 शिक्षामित्र एटीआरई–2019 में शामिल हुए। इस प्रकार, 1,02,000 से अधिक शिक्षामित्र एटीआरई–2019 में शामिल नहीं हुए, क्योंकि या तो उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी या वे सहायक शिक्षकों के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में रुचि नहीं रखते थे।

36. अभिलेख के अनुसार, एटीआरई–2019 में 1,46,060 अभ्यर्थियों में से 8018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हैं, जबकि बी. एड. और बीटीसी अभ्यर्थी क्रमशः 97,368 और 38,610 हैं और अन्य योग्यता रखने वाले 2064 अभ्यर्थी हैं। कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 8018 शिक्षामित्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

17.67% है। यहां यह नोट किया जाना चाहिए कि बी. एड. अभ्यर्थियों को पूर्व की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं थी और एटीआरई –2018 में शामिल नहीं हो सके। वास्तव में, उनकी हकदारी एटीआरई–2018 के बाद पहली बार उत्पन्न हुआ। यहां तक कि जब बी. एड. अभ्यर्थी प्रतियोगिता से बाहर थे तब एटीआरई–2018 (25.02%) में उत्तीर्ण शिक्षामित्रों का प्रतिशत बहुत अधिक नहीं था, जैसा कि प्रस्तर 34.2 में दी गई सूची से स्पष्ट है।

37. हमें अब वर्तमान चयन में बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। मार्च, 2018 में आयोजित टीईटी परीक्षा में, 3,86,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से, शिक्षा मित्र केवल 40,000 थे; जिसका अर्थ है कि शिक्षा मित्र के अलावा अन्य अभ्यर्थी बड़ी संख्या में उत्तीर्ण हुए थे। 01.12.2018 दिनांकित सरकारी आदेश के प्रस्तर 4(2) ने एनसीटीई के कुछ निर्देशों का उल्लेख किया, जिसके बदले में बी.एड. अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार किया गया था इसलिए, यह अधिक स्पष्ट था कि आगामी चयन प्रक्रिया में काफी संख्या में बी . एड. अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस पृष्ठभूमि में, बी.एड. अभ्यर्थियों की हकदारी के लिए किसी चुनौती के अभाव में प्रक्रिया और एटीआरई –2019 में शामिल होना महत्वपूर्ण है।

लेकिन हम केवल इस पहलू पर अवलम्ब लेने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और यह विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या बी. एड. डिग्री धारक वर्तमान चयन प्रक्रिया में पात्र मानी जाने वाली विधि में हकदार हैं।

38. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'एनसीटीई अधिनियम') को अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव के लिए अधिनियमित किया गया था। एनसीटीई अधिनियम का अध्याय II परिषद् की स्थापना से संबंधित है जबकि अध्याय III 'परिषद् के कार्य' से संबंधित है।

जैसा कि परिषद के कुछ कार्य धारा 12 में प्रतिपादित किए गये हैं जो निम्नानुसार हैं:–

> "12. परिषद के कार्य – परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो वह शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने और शिक्षक शिक्षा के लिए मानकों के निर्धारण और रखरखाव और इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त समझे–
>
> (क)–(ख) ....
>
> (ग) शिक्षक शिक्षा और देश में इसके विकास का समन्वय और निगरानी करना;
>
> (घ) स्कूलों में या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के बाबत मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित करना;
>
> (ङ) इसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और अभ्यर्थियों के चयन की विधि, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्यक्रम की विधि सहित शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड प्रतिपादित करना;
>
> (एफ)–(ड) ....

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ढ) ऐसे अन्य कार्य करेगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं।"

38.1 जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था कि NCTE अधिनियम मुख्य रूप से "शिक्षक शिक्षा प्रणाली" में मानकों को विनियमित करने से संबंधित था। एनसीटीई अधिनियम के प्रावधान *महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ध्यानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय एवं अन्य* [15] में विचारार्थ आया। इस न्यायालय ने अवधारित किया:–

> "62. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे निर्णय में, कानून बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रतीत होता है। जहां तक उच्च शिक्षा या अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण का संबंध है, विशेष रूप से संविधान की अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत विषय वस्तु आती है और राज्य को संसद की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण करने की कोई शक्ति नहीं है। जब संविधान की अनुसूची VII की सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत विषय वस्तु आती हो, तभी संसद और राज्य विधानमंडलों की समवर्ती शक्ति होती है और संविधान के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन उपयुक्त अधिनियम बनाया जा सकता है।
>
> 63. तत्कालीन मामले में यह स्वीकार्य किया जाता है कि संसद ने 1993 अधिनियम लागू किया है, जो प्रवर्तन में है। अधिनियम की प्रस्तावना पूरे देश में शिक्षक–शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास, अध्यापक–शिक्षण प्रणाली और इससे जुड़े मामलों के लिए मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) की स्थापना का प्रावधान करती है। उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार द्वारा चार स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि क्षेत्र पूरी तरह से संसद के एक अधिनियम

15 (2006) 9 SCC 1

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

द्वारा और अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत लिया गया है। इसलिए, यह उक्त क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए उपलब्ध नहीं है। केवल संसद ही उचित कानून बनाकर शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। इन परिस्थितियों में, यह राज्य सरकार के लिए राज्य अधिनियम या "नीति पर विचार" पर अवलम्ब लेने की अनुमति से इनकार करने के लिए उपलब्ध नहीं है।"

38.2 *बेसिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बनाम उपेंद्र राय और अन्य*[16] में, मुद्दा यह था कि क्या एनसीटीई अधिनियम के प्रावधान सामान्य शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित हैं और क्या वे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम और इसके तहत बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों को अध्यारोपित करेंगे। यह न्यायालय ने अवधारित किया:–

"22. यह उल्लेख किया जा सकता है कि 'संस्था' शब्द को एनसीटीई अधिनियम की धारा 2 (ड़) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक ऐसी संस्था जो *अध्यापक शिक्षण* में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस प्रकार, एनसीटीई अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों, उच्च विद्यालयों, इंटरमीडिएट कॉलेज या विश्वविद्यालय जैसे सामान्य शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित नहीं है। धारा 2(2) [sic 2(ड़)] में यथा परिभाषित "संस्था" शब्द का अर्थ केवल अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान है न कि सामान्य शैक्षणिक संस्थान। इसलिए, यह केवल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिन्हें क्षेत्रीय समिति से मान्यता प्राप्त करना या मान्यता जारी रखना होता है। सामान्य शैक्षणिक संस्थानों को एनसीटीई अधिनियम के तहत ऐसी कोई मान्यता या जारी रखने की मान्यता नहीं लेनी होती है। वास्तव में, एनसीटीई अधिनियम सामान्य शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित नहीं है। इसलिए,

16 (2008) 3 एससीसी 432

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हम यह समझने में विफल हैं कि यह कैसे कहा जा सकता है कि एनसीटीई अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमावली को अध्यारोही करता है। वास्तव में, दो अधिनियम पूरी तरह से दो अलग–अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। एनसीटीई अधिनियम शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित है जबकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम यूपी के सामान्य प्राथमिक स्कूलों से संबंधित है न कि किसी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को इस प्रकार पूरी तरह से गलत समझा गया है।"

38.3 इसके पश्चात् एनसीटीई अधिनियम को 2011 के अधिनियम* 18 द्वारा वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था और इस तरह के संशोधन के बाद अधिनियम का दीर्घ शीर्षक अब इस प्रकार है 'पूरे देश में अध्यापक शिक्षण प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, *स्कूल शिक्षकों की योग्यता* और इससे संबंधित मामलों सहित अध्यापक शिक्षण प्रणाली में मानदंडों और मानकों के विनियमन व उचित व्यवस्था के लिए एक अधिनियम प्रदान करना'।

उसी संशोधन द्वारा एनसीटीई अधिनियम में धारा 12क अंत:स्थापित किया गया, उक्त धारा का प्रासंगिक भाग निम्न है:–

"12क. स्कूल शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम मानक अवधारित करने की परिषद् की शक्ति – स्कूलों में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से, परिषद विनियमों के अनुसार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित, संचालित या मान्यता प्राप्त किसी भी पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च

---

* राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (संशोधन) अधिनियम (2011 का 18)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज, जिस भी नाम से ज्ञात है, में शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण कर सकती है:

... ..."

एनसीटीई अधिनियम की धारा 32 एनसीटीई को यह अधिकार देती है कि वह सामान्य रूप से एनसीटीई अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके विनियम बनाए, जो विनियम अब *12 क# के तहत शिक्षकों की योग्यता* के लिए प्रदान कर सकते हैं।

38.4 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्कूलों में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए, एनसीटीई को अब विशेष रूप से स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। "अध्यापक शिक्षण प्रणाली" में मानकों को विनियमित करने के अलावा, एनसीटीई अधिनियम अब शिक्षकों के रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता के संबंध में मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित व्यवस्था से संबंधित है।"

39. एनसीटीई अधिनियम के दायरे और क्षेत्र में उल्लिखित परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, एक और विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में 'आरटीई अधिनियम') को संसद द्वारा छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अन्य बातों के साथ–साथ एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करते हैं। आरटीई अधिनियम की

एनसीटीई अधिनियम 75 की धारा 32(2)(ड़ड़)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है और यह बताती है:–

"23. शिक्षकों की सेवा की नियुक्ति और निबंधनों व शर्तों के लिए अर्हता –

(1) ऐसी न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एक शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) .....

(3) ....."

40. दिनांक 31.03.2010 की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, एनसीटीई को एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए एक 'अकादमिक प्राधिकरण' के रूप में अधिकृत किया।

एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 28.06.2018 उस शक्ति के प्रयोग में थी जो उसे दिनांक 31.03.2010 की अधिसूचना से प्रदत्त की गयी थी। दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से 'बैचलर ऑफ एजुकेशन' की योग्यता अब कक्षा । से V तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एक वैध योग्यता होगी बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अनिवार्य रूप से इस तरह की नियुक्ति के दो साल के भीतर प्रारंभिक शिक्षा में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा।

41. एनसीटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत एनसीटीई को सशक्त बनाने में संसदीय मंशा और 31.03.2010 दिनांकित उक्त अधिसूचना के तहत एनसीटीई

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के पक्ष में विशिष्ट प्राधिकरण प्रदान करने से, एनसीटीई का अधिकार किसी भी संदेह से परे है। यद्यपि एनसीटीई अधिनियम की धारा 12 और 12 क सपठित धारा 32 के तहत कोई विशिष्ट विनियमन नहीं है, लेकिन वर्तमान उद्देश्यों के लिए, 31.03.2010 दिनांकित अधिसूचना के तहत विशिष्ट प्राधिकरण के आधार पर एनसीटीई यह निर्धारित करने का हकदार था कि उक्त अधिसूचना में वर्णित 'बैचलर ऑफ एजुकेशन' योग्यता रखने वाले कक्षा I से V के लिए शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के हकदार हैं। एनसीटीई की ओर से इस तरह का निर्धारण बाध्यकारी होगा। यह इस कारण से है कि 01.12.2018 दिनांकित जी.ओ. ने एटीआरई–2019 को अधिसूचित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि 28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना सहित एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखने वाले उम्मीदवार एटीआरई–2019 में भाग लेने के हकदार थे।

42. इस प्रकार योग्यता और बी. एड. अभ्यर्थियों की पात्रता, कानून में किसी भी संदेह से परे हैं, विचार किया जाने वाला अगला प्रश्न यह है कि क्या एटीआरई–2019 को आयोजित करने से पहले 1981 नियमावली में उचित परिणामी संशोधन किए बिना, बी. एड. योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को एटीआरई–2019 में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस न्यायालय के निर्णयों में लिए गए निम्नलिखित अवलोकनों पर अवलम्ब लिया गया था।

i) *पी. महेन्द्रन और अन्य आदि बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य*[17]

> "4. ... ... संशोधन नियमों में निहित किसी भी अभिव्यक्त प्रावधान के अभाव में इसे प्रकृति में भविष्यलक्षी माना जाना चाहिए। जो नियम प्रकृति में भविष्यलक्षी हैं, वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने

---

17 (1990)1 एससीसी 411

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

वाले उम्मीदवारों के अधिकार को छीन या बिगाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि नियुक्ति की तारीख के साथ–साथ आयोग द्वारा जांच की तारीख पर वे चयन और नियुक्ति के लिए योग्य थे। ... ”

ii) *मदन मोहन शर्मा और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य*[18]

“.... समय विशेष पर परिपत्र प्राप्त करने के आधार पर एक बार विज्ञापन जारी कर दिया गया, तो इसका प्रभाव यह होगा कि चयन प्रक्रिया उन मानदंडों के आधार पर जारी रहनी चाहिए जो निर्धारित किए गए थे और यह उन मानदंडों के आधार पर नहीं हो सकता है जो बाद में किए गए हैं।”

43. 28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना राज्य सरकार पर बाध्यकारी होने से, राज्य द्वारा स्थापित वैधानिक व्यवस्था को उक्त अधिसूचना के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। योग्यता या पात्रता, 28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना द्वारा पहले से ही प्रदत्त है, 1981 नियमावली में संशोधन केवल एनसीटीई द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप वैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए किए गए थे। अधिकार या पात्रता, पहली बार 1981 नियमावली में किए गए संशोधनों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी और इसलिए संबंधित संशोधनों में मौजूद भूतलक्षी के तत्व को उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। उन संशोधनों के पीछे की मंशा पहली बार भूतलक्षी प्रभाव के साथ एक अधिकार निर्मित करने के लिए नहीं थी, बल्कि केवल एनसीटीई के निर्देशों के अनुरूप वैधानिक व्यवस्था को कार्यान्वित करना था। सैद्धांतिक रूप से, भले ही इस तरह की वैधानिक व्यवस्था को इतना सुसंगत नहीं बनाया गया था, बी. एड. डिग्रीधारक संबंधित उम्मीदवार अभी भी पात्र हो सकता है और एटीआरई–2019 के लिए उसकी उम्मीदवारी से इनकार नहीं किया जा सकता था।

---

18 (2008) 3 एससीसी 724

<u>उद्घोषणा</u>

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

44. प्रासंगिक रूप से, एटीआरई में प्रदर्शन उस संकेतकों में से एक है जो गुणवत्ता बिंदुओं को बनाने में किया जाता है, जिस पर चयन के लिए मेरिट सूची तैयार करने के चरण में क्रमवार विचार किया जाना चाहिए। चयन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होने तक, 1981 नियमावली के रूप में वैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से सुसंगत और क्रम में थी।

इसलिए ऊपर अवलम्ब लिए गए और उद्धृत निर्णयों की वर्तमान मामले के लिए कोई प्रयोज्यता नहीं है।

45. *डॉ. प्रीती श्रीवास्तव और एक अन्य आदि बनाम म.प्र. राज्य और अन्य आदि*[19] में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का भी अवलम्ब यह प्रस्तुत करने के लिए लिया गया था कि चूँकि 1981 नियमावली (जैसा कि वे 23 वें संशोधन से पहले थे) में अपेक्षाएँ, जहाँ तक बी. एड. अभ्यर्थियों का संबंध था, 28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना से निर्गत शर्तों के अलावा थीं, इसे स्वतंत्र रूप से संतुष्ट होना चाहिए और इसलिए 1981 नियमावली में कोई भूतलक्षी संशोधन नहीं हो सकता है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया था।

> "39. ... प्रत्येक मामले में केंद्रीय क़ानून द्वारा या इसके तहत निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन राज्य द्वारा भर्ती करते समय किया जाना है। इसके अलावा, यह भर्ती के लिए अन्य अतिरिक्त मानदंडों को निर्धारित कर सकती है या प्रविष्टी 25 सूची III के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में इस तरह से भर्ती को विनियमित कर सकती है, जो असंगत न हो या इस तरह से निर्धारित मानदंडों को कमजोर न करती हो।"

---

19 (1999)7 एससीसी 120

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है, राज्य द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मानदंड निश्चित रूप से अनुप्रयोज्य और प्रवर्तनीय होगा। लेकिन एक बार, एनसीटीई ने निर्धारित किया कि बी. एड. डिग्री धारक अभ्यर्थी कक्षा I से V के लिए शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के हकदार होगा, बशर्ते कि उन्हें छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। (23 वें संशोधन से पहले) 1981 नियमावली में यह शर्त कि उन्हें पहले प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना होगा, यह 28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना को अधिभावी कर देगा। 1981 नियमावली में उक्त शर्त को अतिरिक्त मानदंड नहीं माना जा सकता है। यह 28.06.2018 दिनांकित अधिसूचना के तहत पूरी तरह से विरोध में चला गया, यही कारण है कि उस संशोधन को सुसंगतता में लाने के लिए भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था।

46. इन परिस्थितियों में, हम इस मुद्दे के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को मंजूरी देते हैं और अवधारित करते हैं कि बी . एड. उम्मीदवारों को ठीक ही वर्तमान चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

47. अब हम एटीआरई 2019 के लिए न्यूनतम अर्हता अंक के रूप में 65–60% के निर्धारण से संबंधित प्रश्नों पर विचार करते हैं।

पहला प्रश्न इस तर्क से संबंधित है कि इस तरह का निर्धारण मनमाना और तर्कहीन था और निम्नलिखित उप–शीर्षों के तहत विचार किया जा सकता है:–

(क) क्या एटीआरई–2019 में एटीआरई–2018 के सापेक्ष न्यूनतम अर्हता अंकों के संबंध में विभिन्न मानदंड हो सकते हैं।

(ख) क्या शिक्षा मित्र, जो एटीआरई–2018 और एटीआरई–2019 में उपस्थित हुए, उन्होनें एक एकल समरूप वर्ग का गठन किया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ग) नए स्नातकों के लिए जो पैमाना लागू किया जा सकता है, उसके सापेक्ष क्या शिक्षा मित्र के लिए एक अलग मानदंड नहीं होना चाहिए, जो शिक्षकों के रूप में सेवा प्रदान कर रहे थे।

(घ) क्या "न्यूनतम अर्हता अंक" न्यूनतम नहीं दिखने चाहिए? क्या 65–60% का कट ऑफ स्वतः मनमाना नहीं था;

(ड़) क्या एटीआरई–2019 को एक अपवर्जनात्मक (बाहर करने के लिए) परीक्षण में परिवर्तित किया जा सकता है और इस तरह अनुभव के लिए अधिमान के लाभ को शिक्षा मित्र के लिए अस्वीकार कर दिया गया।

दूसरा प्रश्न इससे संबंधित है कि एटीआरई–2019 होने के बाद इस तरह का निर्धारण करने में शक्ति का सही प्रयोग हुआ।

48. 68,500 पदों के चयन के लिए, 1,07,000 उम्मीदवारों ने एटीआरई–2018 में भाग लिया था; और 45–40% अर्हता अंक पर 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इस प्रकार उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत 38.83 प्रतिशत था। दूसरी ओर, 69,000 पदों के लिए वर्तमान चयन प्रक्रिया में 4,09,530 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 65–60% कट ऑफ अंकों के साथ, 1,46,078 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इस बार उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत 37.62 प्रतिशत था, जो एटीआरई–2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लगभग बराबर था। हालांकि, एटीआरई–2018 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम थी; जबकि 65–60% कट ऑफ के साथ भी वर्तमान चयन में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या पदों की संख्या से अधिक थी। ये आंकड़े परीक्षाओं की प्रकृति और कठिनाई के स्तर के बारे में संकेत देते हैं और बताते हैं कि 65–60% के कट ऑफ के साथ भी, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत लगभग समान था।

49. यह सत्य है कि एटीआरई–2018 और 2019 द्वारा भरे जाने वाले सहायक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

शिक्षकों के पदों की कुल संख्या 1,37,500 थी जो शिक्षा मित्रों की बिल्कुल यथार्थ संख्या थी, जिनका सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन अपास्त किया गया था; और इन शिक्षामित्रों को *आनंद कुमार यादव वाद*[2] में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में कुछ लाभ दिए गए थे। एक तर्क यह भी था कि सभी शिक्षा मित्र जिन्हें इस तरह का लाभ दिया गया था, उन्होंने समरूप वर्ग का गठन किया और इस तरह एक तरफ एटीआरई–2018 में उपस्थित हुए शिक्षा मित्र और दूसरी ओर एटीआरई–2019 में उपस्थित हुए शिक्षामित्रों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। यह भी तर्क दिया गया था कि विभिन्न विषयों के लिए अंकों के आवंटन के साथ दोनों परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम समान है, शिक्षा मित्र के दो वर्गों के बीच कोई अंतर और एटीआरई–2019 में उपस्थित हुए शिक्षामित्रों को काफी ऊँची कट ऑफ के अधीन करना मनमाना और अतार्किक होगा।

50. यहां यह कहा जाना चाहिए कि यद्यपि पाठ्यक्रम और विषयवार अंकों का आवंटन समान था, लेकिन एटीआरई–2019 की प्रकृति पूरी तरह से अलग थी। एटीआरई–2018 में प्रश्नों की प्रकृति वर्णनात्मक थी और परीक्षा की अवधि तीन घंटे थी। हालांकि, एटीआरई 2019 में प्रश्न बहुविकल्पीय– वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और परीक्षा की अवधि भी अलग थी। सवालों के वर्णनात्मक जवाब लिखने के बजाय, जो एटीआरई–2018 में था, कई विकल्प दिए गए थे और एटीआरई 2019 में सही उत्तर को चिह्नित करना था। स्वाभाविक रूप से, दोनों परीक्षाओं की प्रकृति और कठिनाई का स्तर अलग था। इसलिए उप प्रश्न (क) का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जाना चाहिए और यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि एटीआरई–2019 के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों के बारे में अलग–अलग पैमाने हो सकते हैं।

51. एटीआरई 2018 में उपस्थित होने वाले शिक्षा मित्र सहित सभी अभ्यर्थियों ने एक वर्ग का गठन किया, जबकि एटीआरई 2019 में उपस्थित होने वालों ने एक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अन्य वर्ग बनाया। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों या किसी अन्य परीक्षा या चयन में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के बीच अंतर –संबंध या एकरूपता नहीं हो सकती है। अभ्यर्थी निस्संदेह एक पैमाने पर एक ही परीक्षा में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे जो उन सभी पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन यह कहने के लिए कि एटीआरई–2019 में उपस्थित हुए शिक्षा मित्रों को एटीआरई–2018 के अभ्यर्थियों के साथ समानता की अनुमति दी जानी चाहिए, जो एक अलग चयन प्रक्रिया का हिस्सा थे, गलत और अतार्किक होगा। एटीआरई–2019 के मूल मानदंडों का परीक्षण स्वयं उस पर किया जाना चाहिए और यह उस पैमाने या मानदंडों पर निर्भर नहीं हो सकता है जिसके आधार पर एटीआरई–2018 आयोजित किया गया था। अन्यथा परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा असफल और शून्य हो जाएगी।

शिक्षा मित्रों को दो लगातार चयन में अवसर प्रदान किया गया था और कुछ शिक्षा मित्र जो एटीआरई–2018 में विफल रहे थे, ऐसे अवसर के प्रयोग में एटीआरई–2019 में उपस्थित हुए। जो 45–40% कट ऑफ के साथ एटीआरई–2018 को उत्तीर्ण नहीं कर सके, अब उन्हे यह कहने नहीं दिया जा सकता है कि परीक्षा की प्रकृति और कठिनाई स्तर पूरी तरह से बदल जाने पर भी उसी कट ऑफ को बनाए रखा जाना चाहिए।

इसलिए, हम इस बात को अस्वीकार करते हैं कि शिक्षा मित्र जो एटीआरई–2018 और एटीआरई–2019 में उपस्थित हुए, उन्होने एक समान वर्ग का गठन किया और तदनुसार उप प्रश्न (ख) का उत्तर देते हैं। एटीआरई–2018 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों ने स्वयं के मध्य एक वर्ग बनाया , जबकि एटीआरई–2019 में उपस्थित होने वालों ने एक दूसरा वर्ग बनाया। जिस परीक्षा से होकर उस वर्ग के अभ्यर्थी गुजरे थे उसी के आधार पर उस वर्ग की मेरिट का

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

परीक्षण किया जाना था और पहले की परीक्षा के किसी भी पैमाने या मानदंडों को बाद की परीक्षा में नहीं लगाया जा सकता।

52. *म.प्र. राज्य और अन्य बनाम गोपाल डी. तीर्थानी और अन्य*[20] में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लेते हुए, यह कहा गया था कि शिक्षा मित्र जो शिक्षकों के रूप में अपनी सेवाओं का निर्वहन कर रहे थे, उन्हें बी. एड./बीटीसी योग्यता धारक नए स्नातकों के साथ समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता था। । उस मामले में, इस न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए कुछ सीटों को अलग करने पर विचार करने के लिए कहा गया था। इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया: –

> "21.... राज्य सरकार में विशेष रूप से सेवारत उम्मीदवारों के लिए डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल करते हुए स्नाकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक सीटों का एक निश्चित प्रतिशत अलग करने में कुछ भी गलत नहीं है, इस तरह अलग की गयी सीटों की सीमा तक, भर्ती के लिए प्रवेश या चैनल का एक अलग और अनन्य स्रोत है। यह आरक्षण नहीं है। राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी और वे अभ्यर्थी जो राज्य की सेवा में कार्यरत नहीं हैं, वे एक बोधगम्य विभेद के आधार पर दो वर्ग हैं। एक प्रशंसनीय उद्देश्य है जिसे प्राप्त किया जाना है। उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त करने पर , सेवारत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात होने के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सेवारत अभ्यर्थी केवल राज्य सरकार की सेवा में होने के आधार पर स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के कारण सेवा छोड़ देगा। यदि कोई दुराशंका है, तो इसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे उम्मीदवारों से उनके प्रवेश लेने के पूर्व शर्त के रूप में एक बन्ध पत्र प्राप्त

---

20 (2003)7 एससीसी 83

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

करके दूर कर दिया जाये कि स्नाकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वे अगले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार की सेवा करेंगे। इसके अलावा, बन्धपत्र के साथ तीन लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करना अपेक्षित है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से वर्गीकरण और प्राप्त की जाने वाली वस्तु के बीच एक बोधगम्य तर्कसंगत संबंध है।"

यह न्यायालय सेवारत अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सीटों के कुछ प्रतिशत की वैधता पर विचार कर रहा था और इसने वर्गीकरण को सही पाया, जो राज्य के ग्रामीण हिस्सों में सक्षम पेशेवरों की उपलब्धता को प्राप्त करने के उद्देश्य से संबंधित थी। दूसरी ओर, शिक्षा मित्रों को अवसर देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका दिया जाए ताकि राज्य में प्राथमिक शिक्षा का ध्यान रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध हों। हमारे विचार में, दलील स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार उप प्रश्न (ग) का उत्तर दिया जाता है।

53. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 65–60% पर कट ऑफ का निर्धारण काफी उच्च स्तर का था और नियमावली 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा 'न्यूनतम अर्हता अंक' 87 नहीं रहा। यह दलील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के पक्ष में थी जिन्होंने कहा था कि न्यूनतम अर्हता अंक न्यूनतम होनी चाहिए।

टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक अनारक्षित श्रेणी के लिए 60% के स्तर पर हैं। जो शिक्षक बनना चाहते थे, वे पहले से ही एक प्रक्रिया से गुजर चुके थे, जो 60% न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा, एटीआरई–2019 में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का 60% एक उम्मीदवार को आवंटित गुणवत्ता बिंदुओं को निर्धारित करने में प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा मित्रों के लिए स्वीकार्य अधिमान

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

को छोड़कर, एक उम्मीदवार का समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन गुणवत्ता बिंदु का लगभग 40% था, जबकि एक बड़ा हिस्सा एटीआरई–2019 में प्रदर्शन पर निर्भर था। 1981 की नियमावली के अनुसार, एक उम्मीदवार को एटीआरई "उत्तीर्ण" करना होगा और इस प्रकार एटीआरई न केवल एक परीक्षा थी जिसे विचार के क्षेत्र में आने (चयनित होने के लिए) के लिए उत्तीर्ण करना था, बल्कि उस परीक्षा में प्राप्त किए गए 60% अंकों का उपयोग मेरिट सूची तैयार करने के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। चयन के दृष्टिकोण से, एटीआरई का पर्याप्त महत्व और प्रभाव है। कारण स्पष्ट था कि सभी उम्मीदवारों का परीक्षण एक पैमाना या एक मानदंड पर किया जाएगा जो सभी प्रतिस्पर्धी दावेदारों के बराबर और समान होगा।

65–60% स्तर पर निर्धारण सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभा को प्राप्त करना था। यहां तक कि इस योग्यता मानदंड के साथ, एटीआरई–2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत 37.62% था, जो एटीआरई–2018 में 38.83% के काफी करीब था और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या भरे जाने के लिए आवश्यक रिक्तियों से काफी अधिक थी। इस प्रकार, वर्तमान मामले में 65–60% स्तर पर कट ऑफ, स्वयं ही शक्ति का गलत या अवैध प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। तदनुसार उप प्रश्न (घ) का उत्तर दिया जाता है।

54. तब यह कहा गया था कि नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुसार, एटीआरई में प्रदर्शन केवल संकेतकों में से एक माना गया था। हालांकि, संकेतकों में से एक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को पूरा करने के बजाय, कट ऑफ को 65–60% स्तर पर निर्धारित करने से एटीआरई–2019 एक अपवर्जनात्मक परीक्षण (बाहर करने वाली परीक्षा) बन गया। यह कहा गया कि एटीआरई में प्रदर्शन से अन्य प्रत्येक पैमाना खत्म हो गया और इस प्रक्रिया में प्रत्येक शिक्षा मित्र को मिलने वाला अधिमान लाभ को उससे अस्वीकार कर दिया गया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

55. हालांकि 22 वें संशोधन के परिणामस्वरूप, एटीआरई उत्तीर्ण करना नियम 8 का भाग नहीं रहा, नियमावली 1981 के नियमों के नियम 14 में आवश्यकता को विशेष रूप से बरकरार रखा गया। इसके अलावा, परिशिष्ट । सपठित नियम 14(2) के संदर्भ में एटीआरई में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का 60% मेरिट सूची तैयार करने के लिए गुणवत्ता बिंदुओं का निर्धारण करने में प्रयुक्त किया जाएगा। गुणवत्ता बिंदुओं का बड़ा हिस्सा एटीआरई में प्रदर्शन से सीधे संबंधित है, 65–60% स्तर पर मात्र निर्धारण जो बोर्ड के सभी अभ्यर्थियों पर लागू होता है, को अपवर्जनात्मक नहीं कहा जा सकता है। एटीआरई ने सामान्य मंच बनाया जिसके आधार पर विभिन्न अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत मेरिट का परीक्षण किया जा सकता है, यही कारण है कि एटीआरई में प्रदर्शन को आवंटित गुणवत्ता बिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा दिया गया था।

56. यह तर्क कि इस तरह के निर्धारण के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को 1981 की नियमावली के प्रावधानों के तहत निर्धारित अधिमान के लाभ से वंचित कर दिया गया था, यह भी स्वीकार योग्य नहीं है। *कुलभूषण मिश्रा और एक अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य* में, उच्च न्यायालय की खण्ड़ पीठ ने निष्कर्ष निकाला था कि शिक्षा मित्र के अनुभव के लिए आवंटित अधिमान को एटीआरई में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ने पर विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार सभी शिक्षा मित्र जानते थे कि उन्हें एटीआरई में अर्हता प्राप्त करनी थी और वे उसके बाद ही अपने अनुभव के लिए अधिमान के हकदार होंगे। एटीआरई–2019 में 8000 से अधिक शिक्षा मित्र अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें वे लोग शामिल रहे होगें जो पहले एटीआरई–2018 में इसे प्राप्त करने में विफल रहे थे। जो शिक्षा मित्र मेधावी थे और उन्होंने परीक्षा को गंभीरता से लिया जो इसके योग्य था, निश्चित रूप से 65–60% के कट ऑफ से अधिक अंक हासिल

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

करने में सफल रहे। *आनंद कुमार यादव वाद*[2] में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशो से यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी अन्य बात के होते हुए भी, शिक्षा मित्र को अन्य उम्मीदवारों के सापेक्ष अपने कौशल की तुलना करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार यह देखा गया कि, 65–60% पर कट ऑफ का निर्धारण, जिसका उद्देश्य सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करना था, को अपवर्जनात्मक (बाहर करने वाला) नहीं कहा जा सकता है और न ही इसका उद्देश्य अनुभव के लिए अधिमान के लाभ से शिक्षा मित्र को वंचित करना था। इसलिए उप प्रश्न (ड़) का उत्तर शिक्षा मित्र के विरूद्ध दिया जाना चाहिए।

57. इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर देते समय, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एटीआरई–2019 में 65–60% पर कट ऑफ का निर्धारण पूरी तरह से वैध और उचित था। परीक्षा की प्रकृति और कठिनाई के स्तर के साथ साथ एटीआरई–2019 में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभा को लेने के लिए कट ऑफ लगाया गया था। इसलिए सर्वोत्तम शिक्षकों को सुरक्षित करने के प्रयास में राज्य की ओर से प्रयास पूरी तरह से उचित था। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 21 क के संदर्भ में गारण्टीकृत शिक्षा का अधिकार उन बच्चों को प्रदान की जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करेगा जिसका यह अर्थ होगा कि शिक्षक मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए। कोई प्रक्रिया जो सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू हुई और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए लगायी गयी थी, उसे मनमाना या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है।

58. दूसरे प्रश्न के संबंध में, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि एटीआरई–2019 के लिए 65–60% की कट ऑफ परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद घोषित की गई थी। जैसा कि 07.01.2019 दिनांकित आदेश से परिलक्षित होता है, प्रक्रिया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांक 05.01.2019 को शुरू की गई थी, लेकिन वास्तविक घोषणा दिनांक 07.01.2019 को की गयी थी। इस तरह के अनुप्रयोग के औचित्य को शिक्षा मित्र द्वारा प्रश्नगत किया गया था और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर अवलम्ब लिया गया था। मूल दलीलें यह थीं कि उम्मीदवारों को पहले से ही कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए था और परीक्षा समाप्त होने के बाद कट ऑफ का निर्धारण गलत और अवैध होगा।

अब हम दोनों पक्षों द्वारा अवलम्ब लिए गए कुछ निर्णयों पर विचार कर सकते हैं।

क] *हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह और अन्य*[21] में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या पर्याप्त रिक्तियाँ होने पर भी अन्य उत्तीर्ण उम्मीदवारों को छोड़ते हुए उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची से पहले सात व्यक्तियों को नियुक्त करने में राज्य की कार्रवाई सही थी। यह अवलोकन किया गया: –

> "10. यह दिखाई नहीं देता कि रिक्तियों का अस्तित्व किसी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए चुने जाने का कानूनी अधिकार कैसे देता है। परीक्षा यह दिखाने के उद्देश्य से है कि एक विशेष उम्मीदवार विचार किए जाने के लिए पात्र है। नियुक्ति के लिए चयन किया जाना बाद की बात है। यह सरकार के विकल्प पर है कि वह यह तय करे कि कितनी नियुक्तियां की जाएंगी। मात्र यह तथ्य कि सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम है , उसे परमादेश का हकदार नहीं बनाता कि उसे नियुक्त किया जाए। वास्तव में, यदि राज्य सरकार नियुक्ति के लिए चयन करते समय सूची में दी गई रैंकिंग से विमुख हो गयी थी, तो इस आधार पर एक वैध शिकायत होगी कि राज्य सरकार इस संबंध में नियमों से विमुख हो गई थी। भाग

---

21 (1974)3 एससीसी 220

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ग में नियम 10 का सही प्रभाव यह है कि यदि और जब राज्य सरकार अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव करती है, तो राज्य सरकार (i) सूची के बाहर जाकर ऐसी नियुक्तियां नहीं करेगी, और (ii) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित सूची में जिस स्थान पर अभ्यर्थियों को रखा गया है, कड़ाई से उसी क्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित करेगी। वर्तमान मामले में सरकार द्वारा इन दो आवश्यकताओं में से किसी का भी उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने सूची में पहले सात व्यक्तियों को अधीनस्थ न्यायाधीश नियुक्त किया है। नियुक्तियाँ करने की शक्ति पर इन बाधाओं के अलावा, नियम 10 कोई अन्य बाधा नहीं डालता है। इसमें कोई बाधा नहीं है कि सरकार अधीनस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी क्योंकि या तो रिक्तियां हैं या क्योंकि उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है और वह अस्तित्व में है।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ख] उत्तर प्रदेश राज्य इत्यादि बनाम रफीकुद्दीन एवं अन्य इत्यादि मामले में एक सामान्य परीक्षा और एक प्रतियोगात्मक परीक्षा के बीच के अंतर को प्रस्तुत करने के आलोक में कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक बिना सूचना दिए तय कर दिया गया था, जो इस न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार रखा गया था: –

> "12. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह अवलोकित किया कि आयोग के पास मौखिक परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं था और यहां तक कि यदि उसके पास इतनी शक्ति थी भी तो वह अभ्यर्थियों को सूचना दिए बिना न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं कर सकता था। खंडपीठ ने आगे कहा कि यदि आयोग ने प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के चरणों से पहले अभ्यर्थियों को सूचना दिया था, तो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या नहीं। हमारी राय में उच्च न्यायालय ने एक प्रतियोगी परीक्षा में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने में एक गंभीर त्रुटि की। एक कॉलेज या विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा द्वारा परीक्षा और एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को डिग्री प्रदान करने के लिए एक बुनियादी अंतर है। परीक्षा निकाय या प्राधिकरण न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को निर्धारित करता है। यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करता है, तो उसे सफल घोषित किया जाता है और उसके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या के अनुसार संबंधित ग्रेड में रखा जाता है। ऐसे मामले में परीक्षा प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ –साथ विभिन्न ग्रेड प्राप्त करने के लिए अग्रिम रूप से अंक निर्धारित करें। दूसरी ओर एक प्रतियोगी परीक्षा अलग–अलग प्रकृति की है। प्रतियोगी परीक्षा का उद्देश्य और अभिप्राय लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए सबसे योगय अभ्यर्थियों का चयन करना है। एक अभ्यर्थी को पर्याप्त अंक प्राप्त होने के कारण भी सीमित पदों और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के कारण चुना नहीं जा सकता। एक प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति और विशेषताओं के संबंध में न्यूनतम अंकों के बारे में अभ्यर्थियों को सूचना देना संभव नहीं है और न ही आवश्यक है, जो आयोग अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को बाहर करने के उद्देश्यों के लिए निर्धारित कर सकता है। प्राकृतिक न्याय का नियम प्रतियोगी परीक्षा पर लागू नहीं होता है। "
>
> (प्रभाव वर्धित)

ग) सीधी भर्ती द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड–II) के दस पदों के चयन की प्रक्रिया के. मंजुश्री में जारी थी। 30.11.2004 के स्वीकृति के अनुसार, चयन प्रक्रिया में 75 अंकों के लिए लिखित परीक्षा और 25 अंकों के लिए मौखिक परीक्षा शामिल थी। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों का न्यूनतम प्रतिशत होगा और सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा; और लिखित और मौखिक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

परीक्षाओं में अंकों के सम्पूर्ण योग के अनुसार योग्यता निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार मौखिक साक्षात्कार में किसी भी न्यूनतम उत्तीर्णांक की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, उप–समिति ने मौखिक परीक्षा के लिए कट ऑफ का प्रतिशत निर्धारित किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ अभ्यर्थी अयोग्य हो गए। ऐसे चार अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती से निपटने के दौरान, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने धारित किया:

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"27. लेकिन जो नहीं किया जा सकता था, वह दूसरा बदलाव साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की कसौटी को लागू करना था। जिला और सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड II) के चयन के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक पहले कभी नहीं लागू किए गए थे। वर्तमान चयन के संबंध में, प्रशासनिक समिति ने केवल पिछली प्रक्रिया को अपनाया। ऊपर बताई गई पिछली प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक लागू करना था, न कि मौखिक परीक्षा के लिए। हमने 24-7-2001 और 21-2-2002 दिनांकित प्रस्ताव की उचित व्याख्या का उल्लेख किया है और यह अवधारित किया कि दिनांक 30-11-2004 को जो अपनाया गया था, वह केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक था, न कि साक्षात्कार के लिए। इसलिए, पूरी चयन
प्रक्रिया (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर) पूरी होने के बाद, साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता की शुरुआत, खेल के खेलने के बाद खेल के नियमों को बदलने के लिए होगी जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। इस दृष्टिकोण में हम इस न्यायालय के कई निर्णयों से सशक्त हैं। उनमें से तीन का उल्लेख करना पर्याप्त है – पी.के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ[23], उमेश चंद्र शुक्ल बनाम भारत संघ[24] और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य[25]।

(प्रभाव वर्धित)

पी.के. रामचंद्र अय्यर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य, दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम राजेंद्र भीमराव मांडवे एवं अन्य[26] में पूर्व के निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने धारित किया:

"33. 30-11-2004 दिनांकित प्रस्ताव ने केवल पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया। पिछली प्रक्रिया में साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं थे। इसलिए, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के लिए

23 (1984) 2 SCC 141
24 (1985) 3 SCC 721
25 (1987) 4 SCC 646
26 (2001) 10 SCC 51

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निर्धारित न्यूनतम अंकों का विस्तार करना अस्वीकार्य है। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों का निर्देश अवैध नहीं है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन के नियम बनाने वाला प्राधिकरण, नियमों द्वारा निर्देशित कर सकता है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के लिए या लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित कर सकता है, परन्तु साक्षात्कार के लिए नहीं, या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं कर सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि जहां नियम किसी भी प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करते हैं वहीं चयन समिति न्यूनतम अंक भी निर्धारित कर सकती है। लेकिन यदि चयन समिति साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना चाहती है, तो उसे चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कर देना चाहिए। यदि चयन समिति ने चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए हैं, तो यह चयन प्रक्रिया के दौरान या चयन प्रक्रिया के बाद, एक अतिरिक्त आवश्यकता को जोड़ नहीं सकता है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम अंक भी सुरक्षित करना चाहिए। हमने जो अवैध पाया है, वह चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मानदंड बदल रहा है, जब पूरा चयन इस आधार पर आगे बढ़ा कि साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं होंगे।

36. हालांकि पूर्ण न्यायालय ने व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों के रूप में एक नई आवश्यकता बताई, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है और जो वर्तमान चयन प्रक्रिया और पूर्व के चयन को लागू करते समय अपनाई गई स्पष्टीकरण की भिन्नता पर है। जैसा कि पूर्ण न्यायालय ने प्रशासनिक समिति के दिनांक 30–11–2004 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को बनाए रखने का भी निर्णय लिया, यह साक्षात्कार में न्यूनतम अंकों की एक नई आवश्यकता प्रारम्भ नहीं कर सकता था, जिसका प्रभाव अभ्यर्थियों को बाहर करने का था अन्यथा जो चयन के लिए पात्र और योग्य होंगे। इसलिए, हम मानते हैं कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंकों को अपनाकर मेरिट सूची को संशोधित करने में पूर्ण न्यायालय की कार्रवाई अस्वीकार्य थी।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इस प्रकार, इस न्यायालय ने चुनौती की अनुमति दी और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक लागू किए बिना लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंकों के संदर्भ में लिखित परीक्षा में योग्य 83 अभ्यर्थियों के संबंध में एक नई मेरिट सूची तैयार करे।

घ] के. मंजुश्री मामले के निर्णय पर अवलम्ब लेते हुए, हेमानी मल्होत्रा इत्यादि बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय[27] में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला:–

> "15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन करने के नियम बनाने वाला प्राधिकरण लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों के लिए न्यूनतम अंक नियमों द्वारा निर्देशित कर सकता है, लेकिन <u>यदि चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं है, तो संबंधित प्राधिकारी या तो चयन प्रक्रिया के दौरान या चयन प्रक्रिया के बाद एक अतिरिक्त आवश्यकता/योग्यता नहीं जोड़ सकता है कि अभ्यर्थी को साक्षात्कार में न्यूनतम अंक भी सुरक्षित करना चाहिए।</u> इसलिए, यह न्यायालय की राय है कि मौखिक परीक्षा में प्रतिवादी द्वारा न्यूनतम अंकों के निर्देश अवैध थे।
>
> (प्रभाव वर्धित)

ङ] तेज प्रकाश पाठक एवं अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य[28] में, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ को हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह एवं अन्य में विचार के समान स्थिति के विचारार्थ बुलाया गया था, जहां केवल तीन अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जबकि अन्य को रिक्तियों के बावजूद बाहर

---

27 (2008) 7 SCC 11
28 (2013) 4 SCC 540

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कर दिया गया था। इस न्यायालय ने के. मंजुश्री में निर्णय पर संदेह किया और मामले को एक वृहद पीठ को भेज दिया। कुछ अवलोकन निम्नानुसार थे: –

"1. अनुमति प्रदान की गई।

> "5.... खेल के नियम... चयन के मानदंड को बीच में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा या चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद बदला नहीं जा सकता है।
>
> "27... खेल खेलने के बाद खेल के नियमों को बदलना... स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।" उपरोक्त, और इसी तरह के प्रभाव के कथनों ने राज्य या इसके साधनों के तहत रोजगार के संदर्भ में कानून के नियम को प्रभावित किया है। क्या कानून का ऐसा सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, जो "खेल के नियम" हैं जिन्हें या तो खेल के प्रारम्भ होने या खेलने के बाद बदला नहीं जा सकता है, हमारी राय में इस न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा एक आधिकारिक घोषणा करने की आवश्यकता है।"

....

6. इसलिए, अपीलार्थीगणों ने इस आधार पर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी कि मुख्य न्यायाधीश का निर्णय केवल उन अभ्यर्थियों का चयन करने का है, जिन्होंने न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका सन्दर्भ "खेल खेलने के बाद खेल के नियमों को बदलना", का होगा–एक *क्लिच (cliche)*, जिसका सही उद्देश्य मंजुश्री

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मामले में इस न्यायालय की घोषणा के बावजूद जांच करने की आवश्यकता है कि यह "स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य" है।

....

14. दुर्भाग्यवश, सुभाष चंदर मारवाह मामले में निर्णय को मंजुश्री मामले में न्यायाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया है। यह न्यायालय मंजूश्री मामले में पी.के. रामचंद्र अय्यर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उमेश चंद्र शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य पर अवलम्बित था। किसी भी मामले में सुभाष चंद्र मारवाह के निर्णय पर विचार नहीं किया गया था।

15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक हितकारी सिद्धांत जो राज्य या उसके साधनों को "खेल के नियमों" के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देता है जहाँ तक पात्रता मानदंड के निर्देश का संबंध है, जैसा कि सी. चन्नाबसावैह बनाम मैसूर राज्य इत्यादि[29] में किया गया था जिससे भर्ती प्रक्रिया और उसके परिणामों में हेरफेर होने से बचा जा सके। क्या इस तरह के सिद्धांत को "खेल के नियमों" के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से चयन के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करना, जब मांगे गए परिवर्तन को चयन के लिए अधिक कठोर जांच करना है, तो इस न्यायालय की एक वृहद पीठ के आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम आदेश देते हैं कि इस मामले को इस संबंध में उचित आदेशों के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।"

छ] योगेश यादव मामले में, श्रेष्ठ अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए कट ऑफ को

---

29 AIR 1965 SC 1293

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नियोजित करने में प्राधिकारियों की ओर से प्रयास पर प्रश्न किया गया था। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने धारित किया:–

> "13. तत्काल मामला ऐसा नहीं है जहां मौखिक परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्देशित नहीं है और लिखित परीक्षा के बाद ऐसा करने की मांग की गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परीक्षार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि लिखित परीक्षा में 80% अंक होंगे और साक्षात्कार के लिए 20% अंक निर्धारित किये गए थे। यह भी कहा गया था कि जिन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित श्रेणी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। संपूर्ण चयन पूर्वोक्त मानदंड के अनुसार किया गया था जिसे भर्ती प्रक्रिया के समय निर्धारित किया गया था। साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के अंक जोड़े जाने थे। हालांकि, चूंकि नियुक्ति देने के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित नहीं किया गया था। तत्काल मामले में जो किया जाता है, वह यह है कि केवल उन व्यक्तियों को नियुक्तियां देने का निर्णय लिया जाता है जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी में 70% या उससे अधिक अंक और आरक्षित श्रेणी में 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पहली बार इस पहलू पर किसी नियम के अभाव में, इससे खेल के नियमों में परिवर्तन नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है कि यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां न्यूनतम अंक प्राप्त करना प्रारम्भ किया गया था जिसे विज्ञापन में निर्देशित नहीं किया गया था बल्कि चयन के उद्देश्य से मानक तय किए गये थे। इसलिए, यह खेल के नियमों को बदलने का मामला नहीं है। तत्काल मामले के विपरीत, केवल उन लोगों को नियुक्ति देने का निर्णय

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लिया जाता है जिन्होंने निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है। ऐसे मानदंडों का निर्धारण कानून में स्वीकार्य है। यह पूर्णतः अलग स्थिति है जो हेमानी मल्होत्रा मामले द्वारा नहीं लिया गया है।"

छ] सलाम समरजीत सिंह बनाम मणिपुर, इम्फाल उच्च न्यायालय एवं अन्य[30] में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के बीच असहमति थी।

न्यायमूर्ति भानुमति ने इस कथन को स्वीकार नहीं किया कि 'साक्षात्कार' के लिए न्यूनतम अंकों का निर्धारण "खेल के नियमों" को बदलने के लिए था और यह निष्कर्ष निकाला कि साक्षात्कार के लिए 40% अंकों का निर्धारण संबंधित नियमों के अनुरूप था। के. माजुश्री और हेमानी मल्होत्रा मामले में निर्णय पर अवलम्ब लेते हुए न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह ने एक अलग दृष्टिकोण लिया। इसलिए यह मामला वृहद पीठ के लिए भेजा गया है।

ज] शिवानंदम सी.टी. एवं अन्य बनाम केरल उच्च न्यायालय एवं अन्य[31] में, प्रक्रिया समाप्त होने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक तय करने में निर्णय की परिशुद्धता से निपटने के दौरान, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने तेज प्रकाश पाठक में आदेश पर अवलम्ब लिया और मामले को एक वृहद पीठ को भेजा।

झ] दिल्ली नगर निगम बनाम सुरेंद्र सिंह एवं अन्य[32] में तथ्य बताते हैं कि चयन

---

30 (2016) 10 SCC 484
31 (2018) 1 SCC 239
32 (2019) 8 SCC 67

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलकर्ता के स्कूलों में सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पदों के लिए था और विज्ञापन के खंड 25 में चयन बोर्ड को रिक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक तय करने के लिए विवेक प्रदान किया गया था। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह धारित किया: –

> "18. उक्त खंड के परिशीलन से यह नोटिस किया गया है कि यद्यपि इस खंड के तहत कोई कट–ऑफ अंक निर्दिष्ट नहीं हैं, हालांकि, खंड 25 चयन के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक तय करने के लिए डीएसएसएसबी को पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करेगा। तत्काल मामले में, यह ध्यान में रखते हुए कि भर्ती सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पद के लिए थी और और न्यूनतम मानकों के अनुरक्षण की आवश्यकता वाली एक पूर्व याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, डीएसएसएसबी ने चयन सूची तैयार करते समय चयन को एक बिंदु पर रोक दिया था जिसे कट–ऑफ प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया था। ऐसी परिस्थिति में जहां खंड 25 विज्ञापन संख्या 1/2006 में दर्शित थी, जब उच्च न्यायालय के समक्ष निजी प्रतिवादी और अन्य याचिकाकर्ता उक्त विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे रहे थे, यदि उन्हें यह शिकायत थी कि यह खंड मनमाना है और अंततः उनके अधिकार को प्रभावित कर सकता है क्योंकि इसमें प्राप्त किए जाने वाला कोई न्यूनतम अंक दर्शित नहीं किए गए हैं, तो उन्हें उस स्तर पर इसका विरोध करना आवश्यक था। दूसरी ओर, न्यूनतम उत्तीर्णांक तय करने के लिए डीएसएसएसबी को विवेकाधिकार प्रदान करने वाले खंड के बारे में पता होने के बावजूद, उन्होंने बिना किसी विरोध के अर्हक परीक्षा के लिए शामिल होकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया है। उस परिस्थिति में, इसमें अनुमोदन और निंदा करने का सिद्धांत लागू होगा और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले निजी प्रत्यर्थियों या किसी अन्य अभ्यर्थी को उस संबंध में शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है।
>
> 19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन सूची विशेष कट–ऑफ बिंदु पर निष्कर्ष निकाला गया था जिसमें अनारक्षित श्रेणी के तहत अंतिम

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

चयनित अभ्यर्थी ने 89.25% प्राप्त किया था। उक्त निर्णय डीएसएसएसबी द्वारा शिक्षकों के न्यूनतम मानक को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था जो नियुक्त किया जाएगा और किसी भी घटना में नियुक्ति एजेंसी होने के नाते अपीलार्थी को आपत्ति नहीं थी। किसी भी घटना में, यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि उन्होंने मेरिट सूची में अंतिम अभ्यर्थी के रूप में दिखाए गए अभ्यर्थी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे। यदि वह स्थिति थी और जब यह देखा जाता है कि अपीलार्थी और अन्य रिट याचिकाकर्ताओं ने मेरिट सूची में शामिल अंतिम अभ्यर्थी की तुलना में कम प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे , तो न्यायिक समीक्षा के दौरान कोई और विचार नहीं किया जा सकता था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उस सीमा तक अवलोकनों से विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है और उसके आलोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यहां कोई त्रुटि या तो डीएसएसएसबी या अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई थी।"

(प्रभाव वर्धित)

ञ] झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता एवं अन्य में, परीक्षा के बाद पेपर III के संबंध में कट ऑफ तय किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने धारित किया:–

"7. नियम का खंड 4.1 का एक खंड स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि परिणाम घोषित करने के लिए प्रत्येक विषय में कट–ऑफ अंक तय करने के उद्देश्य से केवल मॉडरेशन समिति का गठन किया गया है। विज्ञापन स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर I और II में 50% अंक प्राप्त किए हैं, वे पेपर III में परीक्षा लेने के लिए पात्र होंगे। सामान्य/ओबीसी अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% था। इस स्थिति में, पेपर III के लिए उत्तीर्णांक तय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होगी जब मॉडरेशन कमेटी की बैठक होती है और यह तय करती है कि प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले लोगों से

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपेक्षित क्षमता का स्तर क्या होना चाहिए। यह मॉडरेशन कमेटी के लिए तय करना है कि कट–ऑफ अंक क्या होना चाहिए। ऐसा पहलू हो सकता है जहां पेपर । और ॥ में सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पेपर ।॥ में बहुत कम अंक प्राप्त करते हैं और मॉडरेशन कमेटी को मानकों को कम करने और कम योग्यता मानकों को निर्धारित करने में उचित ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर, एक पहलू हो सकता है जहां कई अभ्यर्थी हैं जो पेपर ।॥ में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और मॉडरेशन कमेटी उच्च न्यूनतम मानक तय करने का निर्णय ले सकती है। एक मॉडरेशन कमेटी का गठन सामान्य रूप से केवल इस प्रकार के संयम के लिए किया जाता है।

8. जहां तक उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद खेल के नियमों को बदल दिया गया था, हमारे विचार में जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह ऐसा मामला नहीं है । विज्ञापन में पेपर ।॥ के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं प्रदान किए गए थे। यह समिति द्वारा बाद के चरण में भी किया जा सकता है। यह कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है, लेकिन प्रवक्ताओं की नियुक्ति के विचार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करते समय एक अतिरिक्त पहलू लाया गया है।"

59. इस न्यायालय के निर्णयों से प्रासंगिक अंश निर्धारित करने के बाद, दूसरे प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वर्तमान मामला के. माजुश्री में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा पूरी तरह से लिया गया है। यदि मामला इतना कवर किया गया है, तो तेज प्रकाश पाठक, सलाम समरजीत सिंह और शिवानंन्दम मामले में संदर्भ के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल मामले को या तो उन मामलों के साथ सुनवाई के लिए वृहद पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या वृहद पीठ के संदर्भ में निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

60. विनियम 1981 के नियम 2(1)(x) के संदर्भ में, एटीआरई के अर्हक अंक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ऐसे न्यूनतम अंक हैं जो सरकार द्वारा 'समय–समय पर' निर्धारित किए जा सकते हैं। विनियम 1981 के नियम 14 का खंड (ग) यह अभिकथित करता है कि किसी अभ्यर्थी को सरकार द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। इस प्रकार, विनियम 1981 के तहत एक सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में से एक सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ एटीआरई उत्तीर्ण करना है। एटीआरई–2018 के दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 7 के विपरीत, जिसमें कहा गया था कि एटीआरई–2018 पास करने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 45% या 40% अंक 104 (क्रमशः 'सामान्य' और 'आरक्षित' श्रेणियों के लिए) प्राप्त करना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। एटीआरई–2019 को अधिसूचित करने वाले जीओ दिनांक 01.12.2018 में उपलब्ध है। एटीआरई–2018 के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 7 के विपरीत, जिसमें कहा गया था कि एक उम्मीदवार को एटीआरई–2018 पारित करने के लिए न्यूनतम 45% या 40% अंक (क्रमशः 'सामान्य' और 'आरक्षित' श्रेणियों के लिए) सुरक्षित करना चाहिए, ऐसा कोई अनुबंध 01.12.2018 दिनांकित सरकारी आदेश में उपलब्ध नहीं थी, जिसमें एटीआरई–2019 को सूचित किया गया था। हालांकि, एटीआरई–2018 के दिशानिर्देशों में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए थे, यह 1981 के नियमों की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की शर्त एटीआरई को सूचित करने वाले साधन का हिस्सा होना चाहिए। सौंपने की प्रकृति से, सरकार को 'समय–समय पर' न्यूनतम अंक निर्धारित करने का अधिकार है। यदि इस शक्ति को इस आवश्यकता के साथ सशर्त माना जाता है कि परीक्षा को सूचित करने वाले अनुबंध का हिस्सा होना चाहिए, तो एटीआरई–2019 के लिए ऐसा कोई अनुबंध नहीं था। नियमों के इस तरह के पढ़ने से कुछ अतार्किक परिणाम होंगे। एक ओर, संबंधित नियम को एटीआरई पास करने की आवश्यकता

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

होती है, जबकि दूसरी ओर न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं होंगे। इसलिए प्रासंगिक नियमों पर एक उचित निर्माण का अर्थ यह होगा कि सरकार को ऐसे न्यूनतम उत्तीर्णांक रखने की शक्ति होनी चाहिए जो परीक्षा को अधिसूचित करने वाले साधन के साथ ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य उचित समय पर भी हों। उस मामले में, आगे प्रश्न यह होगा कि इस तरह के न्यूनतम उत्तीर्णांक किस स्तर पर निर्धारित किए जा सकते हैं, और क्या आवश्यकतानुसार ऐसे न्यूनतम उत्तीर्णांक परीक्षा से पहले अच्छी तरह से घोषित किए जाने चाहिए।

61. के. माजुश्री और हेमानी मल्होत्रा ऐसे मामले थे जो न्यायिक सेवा में पदों को भरने के लिए किए गए चयन से संबंधित थे। इन मामलों में, साक्षात्कार में कोई न्यूनतम अर्हता अंक की आवश्यकता नहीं थी और मेरिट सूची को लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल सुरक्षित अंकों से निर्धारित किया जाना था। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता अंक की शर्त के आधार पर, कुछ अभ्यर्थी जो प्राप्त हुए कुल अंक से चयन के दायरे में होते हुए भी स्वयं को अयोग्य पाया। पहली बार न्यूनतम अर्हक अंक आने के शर्त और चल रही चयन प्रक्रिया के बाद के क्रम में या उसके माध्यम से इस न्यायालय ने इस तरह के कारय को अस्वीकार्य पाया। ये ऐसे मामले थे, जहां शुरू करने के लिए, साक्षात्कार के लिए किसी भी न्यूनतम अर्हत अंक की कोई शर्त नहीं थी। दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, नियम 14 के सपठित नियम 2(1)(x) के संदर्भ में आवश्यकता यह है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक चयन के लिए सहायक शिक्षक के रूप में पात्र माने जाने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। इस प्रकार यह हमेशा अपेक्षा की गई थी कि कुछ न्यूनतम अर्हक अंक होंगे। 07.01.2019 दिनांकित अपने आदेशों के आधार पर सरकार द्वारा जो किया गया था, वह इस

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तरह के न्यूनतम अर्हता की मात्रा या संख्या को तय करना था।

इसलिए, के. माजुश्री मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा लिए गए मामलों के विपरीत, जहां एक अभ्यर्थी यथोचित रूप से यह मान सकता है कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों के बारे में कोई शर्त नहीं थी , और लिखित और मौखिक परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों का गठन करना चाहिए जो मेरिट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और तत्काल मामले में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी। अभ्यर्थी को एटीआरई–2019 पास करना था और उसे इसकी जानकारी होनी चाहिए कि एटीआरई–2019 को पास करने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसलिए, एक ओर हेमानी मल्होत्रा में और के. माजुश्री में प्रतिपादित सिद्धांत के बीच मौलिक अंतर है और दूसरी ओर वर्तमान मामले की स्थिति में।

62. इसके बाद हमारे पास यह प्रश्न रह जाता है कि क्या 07.01.2019 दिनांकित आदेश द्वारा इस तरह के न्यूनतम अर्हता अंकों के निर्देश को केवल इसलिए अपास्त होना चाहिए क्योंकि परीक्षा आयोजित होने के बाद इस तरह के निर्देश दिए गये थे। इस बिंदु पर, यह ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता है कि एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रमुख रिट याचिका में की गई मूल प्रार्थना में 07.01.2019 दिनांकित आदेश को अपास्त किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप जो हो सकता है, वह यह है कि एटीआरई–2019 के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होगा, जो नियम 14 के खंड(सी) सपठित नियम 2(1)(x) के जनादेश के विपरीत होगा। यह ठीक इस कारण से है कि जो प्रस्तुत किया गया था वह यह था कि एटीआरई–2018 के लिए उपलब्ध समान मानदंड एटीआरई–2019 के लिए

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपनाया जाना चाहिए। इस कथन को बल देने के लिए, यह तर्क दिया गया था कि एटीआरई–2018 और एटीआरई–2019 में शामिल होने वाले शिक्षा मित्र एक समरूप खंड का गठन करते हैं और इसलिए, एटीआरई–2018 में उपलब्ध मानक को लागू किया जाना चाहिए। यह तर्क समानता के आधार पर, पहले से ही विचार किया जा चुका है और अस्वीकार कर दिया गया है।

63. यदि सरकार के पास 'समय–समय पर' न्यूनतम अर्हता अंक तय करने की शक्ति है, तो नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परीक्षा समाप्त होने के बाद भी ऐसी शक्ति के प्रयोग से कम हो सकता है, बशर्ते कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी दुर्भावना से नहीं किया जाता है और सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा खोजने के उद्देश्य से है।

उस संबंध में, तत्काल मामला पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम बनाम सुरेंद्र सिंह और झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता व अन्य में पूरी तरह इस न्यायालय के निर्णयों के अन्तर्गत आता है है। पहले मामले में, विज्ञापन के खंड 25 के तहत सौंपी गई शक्ति ने भी रिक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्हता अंक तय करने के लिए चयन बोर्ड को समान विवेक प्रदान किया। जहां ऐसी शक्ति के प्रयोग पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि यह 'भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों के न्यूनतम मानक को सुनिश्चित करने के लिए' किया गया था।

इसी तरह, झारखंड लोक सेवा आयोग मामले में, पेपर III में परीक्षा समाप्त होने के बाद शक्ति का प्रयोग सही और उचित पाया गया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

64. यदि अंतिम वस्तु सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभा का चयन करना है और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाह एवं अन्य, यू.पी. राज्य बनाम रफीक्दीन एवं अन्य, दिल्ली नगर निगम बनाम सुरेंद्र सिंह एवं झारखंड लोक सेवा आयोग बनाम मनोज कुमार गुप्ता एवं अन्य मामले में न्यूनतम अर्हता अंक तय करने की शक्ति है, हमें 07.01.2019 दिनांकित आदेश के अनुसार 65–60% कट ऑफ तय करने में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं लगता है।

अभिलेख पर तथ्यों से संकेत मिलता है कि इस कट ऑफ के साथ भी योग्य अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से दोगुना अधिक है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि परीक्षा की प्रकृति और कठिनाई के स्तर पर विचार करने के बाद, इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, संबंधित प्राधिकारियों के पास एक मानदंड का चयन करने के लिए अपेक्षित शक्ति है जो सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षकों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। ऐसा प्रयास निश्चित रूप से आरटीई अधिनियम के तहत उद्देश्यों के अनुरूप होगा।

65. इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान मामले में, परीक्षा समाप्त होने के बाद भी 65–60% पर कट ऑफ का निर्धारण, अस्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है। हमारे विचार में, सरकार ऐसे कट ऑफ तय करने के अपने अधिकारों के भीतर थी।

66. परिणामस्वरूप, इन सभी मामलों में शिक्षामित्रों की ओर से दी गई चुनौती, विशेष रूप से प्रस्तर 27 में उल्लिखित है वह अस्वीकार की जाती है और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

शिक्षामित्रों द्वारा की गई अपील खारिज की जाती है। शिक्षा मित्र संघ द्वारा दायर की गई एसएलपी (दीवानी) सं. 6846 वर्ष 2020 से उद्भूत अपील ने भी शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए प्रार्थना की है। आनंद कुमार यादव मामले में इस न्यायालय के निर्णय की घोषणा के मद्देनजर ऐसी प्रार्थना नहीं की जा सकती है। इसलिए, यह अपील खारिज कर दी गई है।

67. यद्यपि हमने शिक्षामित्रों की ओर से चुनौती को खारिज कर दिया है और उनकी अपीलों को खारिज कर दिया है, हम आशा करते हैं कि, जैसा कि प्रस्तर 34 में अभिलिखित किया गया है, राज्य की ओर से प्रस्तुत कथन को ध्यान में रखते हुए, अगले चयन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षामित्रों को एक और अवसर दिया जाएगा।, हम इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ देते हैं ताकि इस तरह के अवसर का लाभ उठाया जा सके। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस मामले में, पूरी तरह से मामले को राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

68. पूर्व सैनिकों या अक्षम व्यक्तियों द्वारा अधिमानित की गई अपीलों में, यह कहा गया था कि इन श्रेणियों के लिए निर्धारित रिक्तियों के सापेक्ष बहुत कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 65–60% कट ऑफ पर योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। 65–60% कट ऑफ को वैध और न्यायोचित माना गया है, इन अपीलों को भी खारिज कर दिया गया है। यदि इन श्रेणियों के लिए रिक्तियों के सापेक्ष कम संख्या में अभ्यर्थी हैं, तो ऐसी रिक्तियां उस संबंध में नियमों के अधीन होंगी। यदि रिक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो वर्तमान चयन में अभ्यर्थियों के लाभ के लिए समान होना चाहिए।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इसी तरह, रिट याचिका (सिविल) सं. 703 वर्ष 2020 और बी.एड./बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा की गई याचिकाओं से उद्भूत अपीलों को साथ ही अवमान याचिका (सिविल) सं. 418 वर्ष 2020 और सभी अंतःक्षेपी आवेदन को भी उन्हीं शर्तों में निस्तारित किया जाता है। कोई लागत नहीं।

69. अब राज्य सरकार दिनांक 12.05.2020 को घोषित परिणाम के संदर्भ में और कानून के अनुसार सभी संबंधित पदों को भरने की हकदार होगी

.....

[न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित]

.....

[न्यायमूर्ति मोहन एम शांतानागौदर]

नई दिल्ली;

18 नवंबर, 2020.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"